Seventeenth Loksabha

>

Title: Statutory Resolution regardomg Disapproval of Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 and Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, Items Nos. 11 and 12 will be taken up together now. Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

*m01

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

> "That this House disapproves of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019) promulgated by the President on 7th March, 2019."

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और

उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्रीमन्, यू.जी.सी. के वर्ष 2006 के जो दिशानिर्देश थे, उसी के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संकाय के पदों पर नियुक्ति होने का प्रावधान था । यू.जी.सी. के निर्देश भी थे कि आरक्षण में जो रोस्टर है, उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एक ईकाई मानकर नियुक्तियां की जाए । लेकिन, इसी बीच इस प्रावधान के खिलाफ एक विज्ञप्ति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 16 जुलाई, 2016 को जारी हुई । इस विज्ञप्ति के खिलाफ कुछ लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए और 12.09.2016 को उच्च न्यायालय में जो रिट याचिका दायर की । उसमें उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2017 को यू.जी.सी. के जो दिशानिर्देश थे, जिसमें ईकाई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय था, उसे अमान्य घोषित कर दिया, जिससे असहज स्थिति पैदा हो गई ।

श्रीमन्, इस बीच जब उच्च न्यायालय का यह आदेश आया तो यू.जी.सी. ने और मंत्रालय ने इस दिशा में चिंता व्यक्त की कि जो व्यवस्था के तहत अब करना पड़ेगा, उससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जो संविधान की मंशा है । इसलिए यू.जी.सी. ने इसे देखते हुए 21 विश्वविद्यालयों का एक अध्ययन किया और अध्ययन यह आँकड़ा प्राप्त करने के लिए किया कि यदि विश्वविद्यालय को ईकाई न मानते हुए, विषय और सब्जेक्ट को ईकाई मानते हैं, तो इन दोनों में क्या अन्तर है । 21 विश्वविद्यालयों के आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् हमें जो प्राप्त हुआ, उसमें यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो जैसे प्रोफेसर के 133 पद हैं, तो अनुसूचित जाति के लोगों को 133 पद मिलते हैं जबकि यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो उन्हें केवल 4 पद मिलते हैं । ऐसे ही यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के 262 पद मिलते हैं जबकि यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो केवल 47 पद मिलते हैं । ऐसे ही सहायक प्रोफेसर में यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 19 पद मिलते हैं और यदि सब्जेक्ट को ईकाई मानते हैं तो 249 पद मिलते हैं । यह अनुसूचित जाति के लिए है और इसी प्रकार हमने अनुसूचित

जनजाति का भी विश्लेषण किया । उसमें भी यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर के 58 पद मिलते हैं, जबकि यदि ईकाई विभाग को मानते हैं तो शून्य पद मिलते हैं । ऐसे ही सहायक प्रोफेसर में यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 309 पद होते हैं जबकि विभाग को ईकाई मानते हैं तो मात्र 66 पद होते हैं । इस तरह -100 प्रतिशत, -59 प्रतिशत, -78 प्रतिशत का घाटा उस दिशा में हो रहा था ।

इसी तरह, हम लोगों ने पिछड़े वर्गों के लिए भी विश्लेषण किया था । विश्लेषण में यह पाया कि यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर के 11 पद मिलते हैं जबकि यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो शून्य पद मिलते हैं । अगर सहायक प्रोफेसर में विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 1,112 पद मिलते हैं और यदि ईकाई विभाग को मानते हैं तो केवल 855 पद मिलते हैं । इस तरीके से, जब हमने यह देखा है कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जिनके तहत एस.सीज़., एस.टीज़. और ओ.बी.सीज़. को न्याय देने की जो बात की गयी थी, वह हमारी मंशा इसमें पूरी नहीं हो रही है । इसलिए इसका सम्पूर्ण विश्लेषण करने के बाद सरकार इस बिन्दु पर पहुंची कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की जाए । हमारी सरकार और यू.जी.सी. ने 16 अप्रैल, 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की है । यह 13 तारीख को मंत्रालय गया और 12 अप्रैल को यू.जी.सी. गया । श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2019 को इन विशेष याचिकाओं को फिर से खारिज कर दिया । खारिज होने के पश्चात हमने पुन: 12 जनवरी, 2019 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की । 13 फरवरी, 2019 को मंत्रालय ने किया और 12 फरवरी, 2019 को यूजीसी ने रिट याचिका दायर की । ये दोनों जो याचिकाएं थी, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2019 को रद्द कर दिया ।

श्रीमन्, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा था कि आखिर जो संविधान की मंशा है, वह पूरी नहीं हो पा रही है । विश्लेषण के बाद हम इस आधार पर पहुंचे और सरकार ने अध्यादेश का एक मसौदा लाना सुनिश्चित किया । इस अध्यादेश का मसौदा था कि आरक्षण रोस्टर तथा संकाय भर्ती की जो इकाई होगी, वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होगा ।

श्रीमन्, इस ध्येय का एक अध्यादेश लाया गया । राष्ट्रपति जी ने 7 मार्च, 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के काडर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी थी । उसी दिन मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी कर दी और 8 मार्च को फिर यूजीसी ने तत्काल प्रभाव से इन पदों पर भर्ती करने के लिए सुनिश्चित आदेश कर दिया, निर्देश दे दिया । उच्च शिक्षा में लगभग सात हजार पद रिक्त थे और उससे हमारी पूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं । आज हम लोग उस अध्यादेश को बिल के रूप में लाए हैं ।

श्रीमन्, एक दूसरी बात है कि संविधान में जो 103वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत अनुच्छेद 16(6) में प्रावधान किया गया था । उन प्रावधानों को भी इसमें जोड़ा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको प्रवेश और संकाय की नियुक्तियों में आरक्षण की दृष्टि से लाभ मिले । इसको भी आज हम यहां पर लाए हैं । इन दोनों विषयों को जोड़कर आज हम यह बिल लाए हैं । अधीर रंजन जी से मेरा निवेदन जरूर होगा, क्योंकि देश की ये शैक्षणिक संस्थाएं हैं और पता नहीं क्यों आपने विरोध करने के लिए कहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह तो सभी का विषय है । ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से हों । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले इनको सुन लीजिए, उसके बाद आप निवेदन रखेंगे ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको **10** प्रतिशत के आरक्षण की दृष्टि से संकाय की नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट ने 717.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी, ताकि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो सके ।

श्रीमन्, मैं यही आशा कर रहा हूं कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, सरकार यह कह सकती है कि अध्यादेश की क्यों जरूरत पड़ी । मैंने बिंदुवार,

तिथिवार, परिस्थितिवार इन सबका वर्णन दिया है और मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा भी हो, लेकिन सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया जाए ।

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019) promulgated by the President on 7 March, 2019"."

> "That the Bill to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आज मैंने जो स्टेच्युटरी रेज़ोलूशन दिया था और साथ-साथ जो बिल, both have been clubbed together for discussion. माननीय पोखरियाल साहब, आप शुरू में ही गलतफ़हमी कर रहे हैं कि हम इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है । आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं । अगर आपको पहले से ही इतना मालूम हो जाए तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा । आप ज्ञानी आदमी है, इसके बहुत सारे प्रमाण आप पहले भी दे चुके हैं । आपने यह कहा था कि 1 लाख साल पहले हिंदुस्तान में महर्षि कणाद ने न्युक्लियर टेस्ट किया था । आपने यह भी कहा है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस के ऊपर है । आप बड़े ज्ञानी हैं । आपकी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि लॉर्ड राम ने एरोप्लेन चलाया था, गणेश बाबा जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी । आपका शिक्षा में ज्ञान हमसे कहीं अधिक है । इसलिए आप यह न कहें कि हम विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं ।

मैं तो शुरुआती तौर पर एक बात आपको जरूर कहूंगा कि यह विषय बड़ा कठिन है, नटखट चीज है । आपको मंत्री पद संभाले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं । यह जो विषय है, इसका जो कोर इश्यू है, I am not opposing the core concept and the contents of the legislative document; rather, I will oppose the invocation of Ordinance. That is my contention; and along with it, I would propose to the Government and to the Minister himself that the entire legislative document should be sent to the Standing Committee for thorough scrutiny. There is a habit being developed by this Government. You would be astonished to note that this Government is already ranked first in the invocation of Ordinances since Independence. For every ten Bills introduced by this Government during its tenure, four have been introduced in the form of Ordinances. This means 4:10 is the ratio for Ordinances to Bills. This is the record set by this Government.

We are opposing this kind of arbitrary invocation of Ordinances. It certainly will not augur well for the vibrant democracy for which you are also pleading. There lies our contention. Ordinances certainly may be invoked but there must be some sort of extraordinary circumstances which warrant extraordinary legislation or Ordinances, or whatever they may be called.

The Constituent Assembly had extensive deliberations on whether the Executive should have the power to promulgate Ordinances that would have the force of law. The question was whether the Executive should have the power to make legislative changes without the approval of the Legislature, that is the Parliament. Some argued that Ordinances should be used only in the case of emergencies. I am reiterating that Ordinances should be used only in the case of emergencies; for example, in the event of break-down of State machinery. Others argued that law-making powers should vest only with the Legislature, not the Executive.

Ordinances bring legislative changes to address certain gaps in the legal framework. Therefore, there is a need to create a space for wider deliberation and expert inputs on such changes. However, since Ordinances have to be passed within a specific time frame, they are often passed by Parliament without detailed scrutiny. That is why I am proposing for a detailed scrutiny, which can only be made possible through a Standing Committee because a Standing Committee is considered a mini-Parliament. Detailed scrutiny and rigour are typically seen when other Bills are passed by Parliament.

The Ordinance-making power of the Executive contradicts the fundamental concept of separation of powers between the Executive and the Legislature allowing the Executive to make legislative changes, though temporary in nature, without the approval of Parliament, undermining the role of Parliament as a legislative institution.

हम लोग यह नहीं कहते कि अध्यादेश नहीं लाया जाए, लेकिन विशेष स्थिति में अध्यादेश लाना चाहिए । आप अध्यादेश लाए थे । चुनाव सामने हैं, वोट लेना है, आम लोगों को खुश करना है, लाओ, अध्यादेश लाओ । लेकिन अध्यादेश, यह भी एक आर्डनेंस है । जैसे कि आर्डनेंस फैक्ट्री में आप आर्टिलरी खरीदते हैं, दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए गोला-बारूद खरीदते हैं । उसका मतलब होता है आर्डनेंस । आप पार्लियामेंटरी सिस्टम को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑर्डिनेस लाते हैं इसलिए इस विषय पर धीर और सोच-समझ कर चलने के लिए कहता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: The letter 'i' is missing.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I would say it again that principally we do not have any objection to the contents of this legislation because democracy supports the concept of equality. The Members of the Constituent Assembly also acknowledged that India is

fundamentally an unequal nation. So, our founding fathers said that due to some aberrations if any of these institutions act contrary to the basic principle of social justice, enshrined in the preamble to the Constitution, the Government of the day, the Parliament and the judiciary should take coercive steps and ensure that the right to equality and provisions for reservation are implemented.

महोदय, हमारे देश में रिजर्वेशन आज से नहीं है, हमारे देश में दो हजार वर्ष पुराना रिजर्वेशन का चलन है । जब हमने कांस्टीट्यूशन बनाया, उस समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का ऑप्शन रखा । फिर नब्बे के दशक में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई । इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए दस प्रतिशत रिजर्वेशन देकर संरक्षण के दायरे में लाया जा रहा है। संरक्षण इसलिए हो रहा है कि अब भी हम यह सोचते हैं कि हमारे देश में असमानता है । हमारे देश में इनइक्यूटिलटी बरकरार है इसलिए हम इस तरह की कानून-व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं ।

The Constitution of India provides for reservation of seats in educational institutions, public employment and legislatures. Reservation is prescribed for four categories of persons: Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Economically Backward Classes. There is 7.5 per cent reservation for Scheduled Tribes, 15 per cent for Scheduled Castes, 27 per cent for OBCs and 10 per cent reservation for EWS.

Sir, in the year 1997, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension prescribed a roster system which may be applied to ensure hiring of persons through reservation. In 2006, the University Grants Commission issued guidelines on the application of this roster system for reservation of teaching and non-teaching positions in Central Educational Institutions. These guidelines require universities to

consider an educational institute as one unit for the purpose of reservation. That means, in the year 2006 रिजर्वेशन के लिए यूनिवर्सिटी को यूनिट की हैसियत से देखा गया था । हम लोगों ने निर्णय किया था ।

In 1997, the Department of Personnel, Public Grievances and Pension prescribed the roster system which may be applied to ensure hiring of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC teachers in the Central Educational institutions.In the year 2006, the University Grants Commission, under the Ministry of Human Resource Development, provided guidelines for the implementation of the reservation policy using the roster system, which was established in the year 1997.

In 2017, the hon. High Court of Allahabad held that Department should be taken as a unit for the purpose of reservation. Following these, the UGC amended its guidelines to incorporate the rulings of the hon. High Court of Allahabad. There lies the bone of contention – whether 'University as a unit' or 'Department as a unit' should be considered for the purpose of reservation. There lies the bone of contention.

In 2019, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadres) Ordinance, 2019 was promulgated. It overturned the judgement of the hon. High Court of Allahabad and states that central educational institutions will be regarded as one unit for the purposes of reservation. Additionally, the Ordinance expunged the reservation of seats to include OBC candidates.

I am giving one example so that it could be understood easily. If the university is taken as a unit for reservation, then the total number of posts for reserved categories would be out of 99 – 30 for SCs, 15 for STs and 54 for OBCs, whereas, the number of unreserved seats would be 101. There are two types of reservation systems – one is the 13-point

roster and another is the 200-point roster. If the different departments of a university are taken as separate units of reservation, then the total number of posts for the reserved categories would be 83 – 25 for SCs, 9 for STs and 49 for OBCs, whereas, the number of unreserved seats would be 117. What are you observing? The judgement of the hon. High Court of Allahabad may affect the reservation policy that has been prevailing in our country. इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद एपेक्स कोर्ट भी कह रहा है कि यह ठीक नहीं है । हम कहां जाएं? दोनों तरफ कह रहे हैं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यह वाएलेटिड है, कांस्टीटुएशन के आर्टिकल 14, 16 में तरह-तरह की वाएलेशन होती है । हम किधर जाएं?

इसमें एक लीगल एस्पेक्ट है और एक रिजर्वेशन का एस्पेक्ट है । अगर हम दोनों में संतुलन कर पाएंगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो फिर कोई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट दोबारा निर्देश देगा, तब हम कहां जाएंगे? हम चाहते हैं कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर लीगल ल्युमेनिरीज़, यूजीसी और अलग-अलग एक्सपर्ट्स को बुलाएं और कॉम्प्रिहेंसिव लेजिसलेशन रिजर्वेशन पर लाएं । हमारे सामने किसी भी तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो क्योंकि कोर्ट कहता है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है और आप कहते हैं कि यह उचित है । इस तरह से नहीं होना चाहिए ।

HON. CHAIRPERSON: They have a right to reply also.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, please give me two or three minutes more.

In so far as India is concerned, it is stated that there is a golden opportunity for our young generation in terms of demographic dividend. But I would raise some very pertinent issues in this regard. Insofar as enrolment is concerned, India is set to become home to the largest student population in the world by 2025. Yet, the higher education space is low on the capacity to absorb students. At present, India's Gross

Enrolment Ratio is 25.8 per cent, significantly behind China's 51 per cent or most of Europe and North America where 80 per cent or more people are enrolled in higher education.

I would also like to draw the attention of our hon. Minister to one thing that this Ordinance does not mention the inclusion of education for Economically Weaker Sections (EWS). In the Teachers' Reservation Policy, EWS has not been mentioned. The DoPT has incorporated EWS in the roster system yet the Ordinance has not mentioned Economically Weaker Sections. There is a lack of clarity whether there is reservation for EWS in teaching and non-teaching posts in educational institutions. This must be replied to.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. You have already taken 20 minutes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am the initiator.

Sir, in terms of rankings, Indian universities have consistently ranked low in global university rankings. Not a single Indian university has ranked in the top 200 as per the Times Higher Education World University Rankings, 2009. Only five institutes made it to the top 500.

Expenditure on education is still far behind the target of 6 per cent of the GDP at 4.6 per cent of GDP.

HON. CHAIRPERSON: You can discuss all this when the Demands for Grants will be discussed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the lack of practical skills imparted through higher education in India creates a void inasmuch as there is an increasing number of people eligible to be

employed but the employers are not inclined towards hiring them owing to their poor practical skills. Correcting this would require training support for institutes as an inclusive part of higher education.

You have also referred to it that at present there are 41 central universities under the purview of the Ministry of Human Resource Development. The total number of sanctioned teaching posts in 40 central universities is 17425 and out of this, 6141 teaching posts are lying vacant.

HON. CHAIRPERSON: He said 7000 posts.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Professors' posts are vacant to the tune of 6 per cent, Associate Professors – 47 per cent, Assistant Professors – 24 per cent.

HON. CHAIRPERSON: He has given the details.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am within the ambit of my time. If you think that my time is over, I will have to conclude my speech. However, it is an important topic and I would like to raise various issues.

HON. CHAIRPERSON: He has given the details of the vacancies. I am sorry to say this. The time that was allotted is two hours and out of that, the time allotted to you has already been over long back. Eleven minutes were allotted to your Party and you have taken more than 22 minutes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Over the years, several Committees such as the National Knowledge Commission to advice on renovation and rejuvenation of higher education were appointed. Prof.

Yashpal Committee had looked at the functioning and challenges of higher education in India.

As regards regulatory structure, please note that the Indian regulatory structure has been putting a stumbling block to the growth of education sector in our country. TSR Subramaniam Committee report on New Education Policy 2016 also recommended bringing of a National Higher Education Promotion and Management Act.

As regards fees structure, it has been observed that many private institutions of higher education charge exorbitant fees. In the absence of well-defined norms, fees charged by such universities have remained high. The UGC regulates fees for course offered in deemed universities to an extent. They stated that the fees charged shall be directly linked to the cost of running of the course and the institution shall ensure non-commercialisation of education. In 2002, the Supreme Court ruled that the fees charged by the private unaided educational institutes could be regulated also. While banning capitation fee, it allowed institutes to charge a reasonable surplus.

As regards teacher related issues, I have already mentioned that there is a serious gap between the sanctioned posts and the number of teachers. The Standing Committee on Human Resource Development stated that this could be due to two reasons. Firstly, young students do not find the teaching profession attractive and secondly, the recruitment process is long and involves too many procedural formalities.

As regards quality standards, there are two accrediting institutions, namely, the National Board of Accreditation established by AICTE and the National Assessment and Accreditation Council established by UGC. It has been noted that only 10 per cent of all institutions had been

accredited in terms of quality of universities. Out of 323 universities accredited by NAT in the most recent cycle, only 23 universities have been given A+ grade.

The Standing Committee noted that the accreditation of higher education institutions needs to be at the core of regulatory arrangement. So far as the foreign educational institutions are concerned, it has been recognised that the top foreign universities should have an opportunity to come to India as this would enhance qualitative competition within the higher education sector.

Sir, my next point is about shortage of resources in State universities. This is most important. The bulk of enrolment in higher education is in the State universities and in their affiliated colleges. However, these State universities receive very small amounts of grants from the Union Budget. Nearly 65 per cent of the UGC grants is towards Central universities and their colleges, while the State universities and their affiliates get only the remaining 35 per cent of the grants.

The Standing Committee, in its report 2016, recommended that the mobilisation of funds in State Universities should be explored through other means, such as endowment, contribution from industry, alumni among others. With regard to private sector with profit motive in higher education, the UGC Report in 2012 noted that the distribution of public and private institution in India is skewed because enrolment in public universities is largely concentrated in conventional disciplines likes arts and sciences, whereas in private institutions more students are enrolled in market driven disciplines, like engineering and management. Thus, with a rise in private universities, there is a mismatch of the demand and supply of subject disciplines in the private sector education.

Sir, therefore, all these relevant issues need to be addressed provided we want to be a developed country in the world. We are talking about development, but if India remains illiterate and furthermore if we fail to promote ourselves as a nation which nourishes higher education, we would then fail to achieve our desired destination.

With these words, I conclude my speech.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Adhir Ranjan ji, you are very persuasive.

Shri Vishnu Dayal Ram.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति जी, धन्यवाद । मैं दी सैन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन टीचर्स केडर) बिल, **2019** पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति जी, इससे पहले कि मैं बिल के प्रोविजन्स पर बोलू, मैं अपनी ओर से तथा शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए समस्त लोगों की ओर से और इस विधेयक से जिन लोगों को लाभ होने वाला है, उन लोगों की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, आदरणीय मानव संसाधन मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल जी का और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ । इस विधेयक को लाने से एक बार पुन: यह साबित हो गया है कि हमारी सरकार देश के सामान्य मानवीय पिछड़ों और शोषित वंचित लोगों के साथ न केवल खड़ी है, बल्कि वे जो खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए इस आधुनिक युग में उनकी तलवार भी है और उनकी ढाल भी है । सभापति महोदय, हमारा एक संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है और जिसकी एक प्रति मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ।

सभापति जी, यह संविधान है तो आप हैं । यह संविधान है तो मैं हूं । यह संविधान है तो यह सदन है । यह संविधान है तो यह गौरवशाली न्यायपालिका है और ये सारी व्यवस्थाएं हैं । इस संविधान से बाहर निकलकर किसी को कोई कार्य करने की इजाज़त नहीं है । यह संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण होगा । अगर आरक्षण आवश्यक है तो आरक्षण आवश्यक है और आरक्षण होना चाहिए ।

सभापति जी, हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और 7.5 प्रतिशत एस.टी. के लिए आरक्षण होगा । मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी, लेकिन संविधान का मान कम नहीं होने देगी । भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, मैं इस सदन को बताता चलूं कि जब मैं पौने पांच लाख वोट्स से चुनाव जीतकर, दूसरी बार इस सदन में आया हूं तो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के वोट लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी की बात – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास – की आस्था, जो इन तबकों के लोगों ने उनमें व्यक्त की है, के चलते इस सदन में आया हूं और मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद इस सदन में आए हैं । उक्त परिस्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा ट्राइबल वर्ग के लोगों की आस्था को यह सरकार टूटने नहीं देगी और यह विधेयक उसी कटिबद्धता का परिणाम है ।

सभापति महोदय, देश को यह समझने और समझाने की जरूरत है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी । यह समझना होगा कि यह तूफान से किश्ती सही-सलामत लेकर आने जैसी बात है । विपक्ष के हमारे साथी आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने भाषण के क्रम में बहुत सारी बातें रखी हैं, मैं उन बातों का जवाब अपने भाषण के क्रम में दूंगा, अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 7 अप्रैल, 2017 को, जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने भी किया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक जजमेंट

आया था । उस जजमेंट की एक प्रति मैं लेकर आया हूं, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को यूनिट मानकर शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती की बात को उचित नहीं ठहराया गया है । इसके बाद जब वह जजमेंट यूजीसी के पास आता है तो यूजीसी के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी की यह अनुशंसा होती है कि यूजीसी गाइडलाइंस, 2006 के क्लॉज 6(सी) और क्लॉज 8 (ए)(5) में संशोधन किया जाए । क्लॉज 6(सी) कहता है :

> "In case of reservation for SC/ST, all Universities, Deemed to be Universities, Colleges and other Grant-in-Aid Institutions and Centres shall prepare the roster system keeping the Department/Subject as a unit for all levels of teachers as applicable."

Claus 8(a)(V) says:

> "The roster, Department-wise, shall be applied to the total number of posts in each of the categories (e.g. Professor, Associate Professor, Assistant Professor) within the Department/Subject."

इसके बाद यूजीसी के द्वारा एक आदेश निकाला जाता है, जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी कर रहे थे, कि 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम का अनुसरण करके उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, न कि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के आधार पर । हम अब समझते हैं कि यह 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम क्या है । इस 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को यदि लागू किया जाए तो हमारे ट्राइबल भाई को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा ।

यदि 14 पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जाएगी, चौथी सीट ओबीसी को जाएगी । पांचवीं, छठी सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जाएगी, सातवीं सीट एससी को जाएगी, आठवीं सीट ओबीसी को जाएगी, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं सीट अनरिजर्व्ड होगी, बारहवीं सीट ओबीसी को जाएगी, तेरहवीं सीट अनरिजर्व्ड होगी और चौदहवीं सीट में शेड्यूल ट्राइब का उम्मीदवार होगा । आप इसे जोड़ेंगे तो

अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नौ, ओबीसी कैटेगरी में तीन, एससी कैटेगरी में एक और एसटी कैटेगरी में एक सीट मिलनी चाहिए । यह सुनने में ठीक लगता है, पर देश के बुद्धिजीवियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों ने यह सोचना छोड़ दिया कि देश भर में ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर 14 सीटें खाली होंगी या 14 सीटें उपलब्ध होंगी? उपरोक्त परिस्थिति में यदि इस 13 पॉइन्ट रोस्टर के तहत कार्रवाई की जाती है और 13 पॉइन्ट रहता है तो हमारे ट्राइबल भाई को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । इसी तरह से यदि केवल छः सीटें रहती हैं तो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । इसी प्रकार यदि केवल तीन सीटें हुईं तो ओबीसी भाई को आरक्षण का लाभ कभी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा ।

यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो डिपार्टमेंट को यूनिट मान कर 13 पॉइन्ट रोस्टर के आधार पर शिक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति की जाए तो नतीजा यह होगा कि डिपार्टमेंट में तीन या उससे कम पोस्ट हुईं तो कॉलेज में कोई भी सीट रिजर्व्ड कैटैगरी के अभ्यर्थियों को कभी नहीं मिलेगी । मैं बीएचयू का एक आंकड़ा देना चाहूंगा । बीएचयू के आंकड़े के अनुसार यदि 13 पॉइन्ट रोस्टर के हिसाब से नियुक्ति होगी तो ओबीसी को 30 प्रतिशत सीटों का घाटा होगा, एससी को 50 प्रतिशत सीटों का घाटा होगा, एसटी को 80 प्रतिशत सीटों का घाटा होगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बीस प्रतिशत सीटों का घाटा होगा । इसकी वजह से देश की नौ में से छः यूनिवर्सिटीज में 90 प्रतिशत आरक्षित वैकेंसीज अनआरक्षित कैटेगरी में कंवर्ट हो जाएगी । यूजीसी का जो नया सर्कुलर 5 मार्च, 2018 को निर्गत हुआ, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला । तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने 65 पोस्ट्स के लिए विज्ञापन निकाला । राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 33 पोस्ट्स के लिए विज्ञापन निकाला और पंजाब यूनिवर्सटी ने सात सीटों के लिए विज्ञापन निकाला । इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें एससी और एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है । यहां यदि पुराने 200 पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम के हिसाब से विज्ञापन निकाला जाता तो तमिलनाडु सेंट्रल

यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 12 सीटें होतीं, एसटी के लिए आठ सीटें रहतीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 13 सीटें होतीं, एसटी के लिए 10 सीटें होतीं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में शून्य रहतीं । इसका कारण यही है, जो हमारे मंत्री जी और अधीर रंजन चौधरी जी ने बताया है कि दो सौ पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम में कॉलेज और विश्वविद्यालय को एक यूनिट समझा जाता है । दो सौ पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम के लागू होने से आरक्षित श्रेणी के लोगों को निर्धारण आरक्षण संविधान के हिसाब से मिल जाता है ।

इस सिस्टम के अनुसार 99 पोस्ट्स एससी, एसटी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित होती हैं । इतना ही नहीं इस सिस्टम में यदि किसी डिपार्टमेंट में रिजर्व्ड सीट की कमी होती है, तो उस कमी को दूसरे डिपार्टमेंट से, जहां रिजर्व्ड कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, इस कमी को दूर किया जा सकता है । अब 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम कौन लाया, कैसे इंट्रोड्यूज हुआ, इन सारे विषयों पर चर्चा करके मैं सदन का वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरांत तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में, जहां 7 हजार से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं, उन पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी । साथ ही कमजोर वर्ग के शिक्षकों को, जिनकी बहुत पुरानी लंबित मांग है कि विश्वविद्यालय कालेज को यूनिट मानकर बहाली की जाए, वह मांग भी पूरी हो जाएगी । इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी सुनिश्चित हो जाएगा । इतना ही नहीं संविधान के अनुछेद 14, 16 और 21 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी अनुपालना करना भी सुनिश्चित हो जाएगा । इसके अलावा सीधी भर्ती से सभी वर्गों का सामान्य प्रतिनिधित्व मिलेगा और शिक्षिकों के पढ़ाने के मानदण्डों में भी सुधार होगा ।

सभापति महोदय, विधेयक के खंड-3 में यह उपबंध है कि पदों में आरक्षण का विस्तार और रीति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी तथा पदों के प्रयोजन के लिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एकल ईकाई के रूप में समझा जाएगा । इस प्रावधान के कारण 200 रोस्टर पर आधारित पूर्ववर्ती आरक्षित प्रणाली को कायम रखते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एक

यूनिट के रूप में माना जाएगा तथा अब से विभाग विषय को एक यूनिट के रूप में नहीं माना जाएगा । इस उपबंध के अलावा उपबंध-4 में उन संस्थाओं का जिक्र किया गया है, जहां पर यह नियम लागू नहीं होगा । उसका शेड्यूल में जिक्र है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में भी ये बातें लागू नहीं होंगी । समय-समय पर आरक्षण के प्रावधानों पर कुठाराघात होता रहा है । कभी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक्सेसिवनेस, रिवाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन और इन शब्दों के प्रयोग के साथ संविधान की जो मूल भावना है, उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है?

सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारीपूर्वक यह भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि आखिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई और आरक्षण की यदि व्यवस्था की गई, तो उस आरक्षण को लेटर और स्प्रिट में लागू होने देने में क्या कठिनाई है ।

महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जिनमें देश के पिछड़े और शोषितों पर ध्यान दिया गया है । एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट-2018 कौन लाया, बैकवर्ड कमीशन को कांस्टीट्यूशन स्टेटस का दर्जा किसने दिया, 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए कौन लाया और कौन शिक्षक संवर्ग में आरक्षण और वह भी आर्डिनेंस के रास्ते से लेकर आ रहा है । जब इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी खारिज कर दी, रिव्यू पेटिशन खारिज कर दी । यह हमारी सरकार है, यह आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो कभी भी देशहित में, जनता के हित में कड़े-से-कड़ा कदम उठाने में कभी नहीं हिचकती है । चुनाव के दौरान, खासकर हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी, तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान के स्वरूप को बदल देगी ।

माननीय सभापति: श्री विष्णुदयाल जी, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री विष्णु दयाल राम : यदि आप हमारी सरकार के कृत्यों पर नज़र दौड़ाएगें, तो पाएंगे कि हमारी सरकार ने न केवल संविधान को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का भी कार्य किया है । यही कारण है कि जब बीजेपी के सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो कोई विशेष टोला-मोहल्ला नहीं ढूँढ़ते हैं, बल्कि क्षेत्र की सारी जनता को अपना परिवार मानकर वहाँ जाते हैं और यह कल्चर भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ही देन है ।

कुछ लोगों ने बहुत-से वायदे किए, लेकिन उन वायदों के साथ कौन चला, यह फैसला भी जनता को करना है । जनता ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में यह फैसला किया और आगे भी इसी तरह का फैसला करेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है ।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस विधेयक के पक्ष में पुरज़ोर अनुशंसा करता हूँ ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you Sir for allowing me to speak on this Bill. Partly I support the Bill in the sense that the attempt that has been made by the Government is supported by DMK regarding reservation for economically and educationally backward classes. At the same time, even the time is too late, since the appeals are pending before the Supreme Court and the Chennai High Court relating to 10 per cent reservation for economically weaker sections. We are opposing the Bill at least till the pendency of the appeals. The matter has to be either sent to a Select Committee or the Bill has to be divided in to two portions. In the first portion, the socially and economically backward classes should be given the reservation, as contemplated in the Bill. Why? I will explain the reason. We were not part of the last Lok Sabha, when the

Bills were passed as 103rd and 104th Constitution Amendment Bills. It is too late. But I think, this Bill is based on the old Constitution Amendment which was passed in the last Lok Sabha. I think it is a little bit relevant to submit some points since the matter is pending before the Supreme Court and the High Court.

SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): When you are party to it as a Member, you should declare the conflict of interest also.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, are you yielding to him?

SHRI A. RAJA: This is not conflict of interest. This is nothing secret. It is a constitutional interpretation. I will come to your question. I must be thankful to Mr. Ahluwalia because I will give more information to this House in reply to Mr. Ahluwalia's questions. The Objects and Reasons of this Bill clearly state that reservation for 10 per cent of economically and weaker sections is going to be done on the basis of the Constitution Amendment which has been done in the last Lok Sabha. What is the Bill? It has two parts. The Statement of Objects of the Bill said: "At present, the economically weaker sections of citizens have largely remained excluded from attending the higher educational institutions and public employment on account of their financial incapacity"

15.00 hrs

Point No. 2 of the objects of that Bill is:

> "With a view to fulfil the mandate of article 46, and to ensure the economically weaker sections of citizens to get a fair chance of receiving higher education and participation in

employment in the services of the State, it has been decided to amend the Constitution of India. ”

There are two reasons. Number one, the economically poor people are not adequately represented in services and admissions. Number two, very clearly, they are saying that Article 46 is enabling to bring the law.

So, accordingly, they have brought the law and on the basis of the law, this law has been piloted before the Parliament.

Sir, reservation is not unknown to the Indians. Reservation had taken place some 2,500 years ago. One may be surprised to ask, how reservation could be given 2,500 years back? That reservation was something inhuman and undemocratic. How it was inhuman and undemocratic, I would explain. Four Varnas were divided. They were: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, the outcaste Scheduled Castes.

All the occupations or jobs were carried out by these four classes. So, that was also a reservation. That reservation was anti-human, inhuman and undemocratic.

Now, the Preamble of the Constitution of India says:

“WE THE PEOPLE OF INDIA having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC…”

But after the Constitution was enacted, the reservation that has been provided, is human and democratic. Democracy is not merely form of the Government alone, it is essentially an article of respect and reverence towards the fellowmen.

So, in that sense, I am claiming that the reservation is not unknown to the Indians. But the only thing is that that reservation was inhuman and undemocratic, and this reservation is human and democratic.

Sir, as a Member of the DMK, I may apprise that our late leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi and his mentor, Anna *allias* C.N. Annadurai and the Father of Tamil Nation, EVR Periyar Ramasamy, were the pioneer for the cause of the reservation, even before the enactment of the Constitution in 1951. The first amendment to the Constitution came into existence in 1951 because of the Dravidian Movement when the reservation was denied to the backward classes.

Even prior to that -- it may be unknown to this House -- in 1927 when our Dravidian Government was in power, we enacted the law for the socially and educationally backward classes, for the Scheduled Castes including Muslims. One could not even dream of it.

So, in that sense, I am very proud that we are entitled to say something whether it is an old Bill or a new Bill. With due respect, the Constitutional validity must be upheld. In that sense only, I may be permitted to be given five to 10 minutes more, to speak on it.

Sir, as I mentioned, there are two aspects to the Bill. One is that the economically weaker sections were not adequately represented. Second is, Article 46.

Firstly, I am coming to Article 46. Article 46, which says:

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. "

The word, which was coined in the Section is 'economic interests' whereas the provisions 15 and 16 say that those who are socially and educationally backward classes are entitled for the recruitment and the educational institution admissions.

The Constitution says: 'class' whereas Article 46 under which the legislation was being brought here says is only 'section'. There is a difference between the class and the section. Article 14 was clearly interpreted by the Supreme Court. According to the Article 14, reasonable classification can be made by the Court or by the Parliament by way of legislation. But Class Legislation to a specific Section cannot be made. That is a clear direction given by the Supreme Court in so many cases.

So, a reasonable classification is reservation for socially and educationally backward. What is the class legislation? They are inserting a new degree or a new value or a new term, which is 'economically weaker sections'.

15.04 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Madam, we are not against economically weaker sections. 'Economic interests' are the words, that have been inculcated in the Constitutional values or Constitutional text. Then, they have to give more scholarships; they have to give more loans; and declare that the entire educational fee is completely widened for those economically weaker sections.

But by bringing this 10 per cent quota into the reservation quota, I think, somewhere some space is going to be trespassed by these people

by getting the social justice for really oppressed and depressed classes both in the OBC, BC and SC/ST communities.

So, for that I am just telling a glancing angle of incidence. It is because the policy of reservation is not a matter of complete choice or charity, it is a right which was substantiated even before the British Government. The root and the origin or, if I may say, the genesis, mechanism and development of reservation was there from 1880. I can give you the details.

The first discussion about the reservation – it is available in the Galanter, Mare compilation – took place in1880. It used the term 'backward class' to describe groups which are illiterate or indigent. They are being entitled to allowances for study in elementary school. This was the first reservation where the word 'backward' was coined in 1880 to give scholarship. Then, on 5th January 1985, the Gazette no. 40 provided for grants-in-aid to schools for backward classes consisting mostly of untouchables. It was done by Madras Presidency.

In 1917 the Maharaja of Kolhapur expressed interest of Montagu-Chelmsford in uplifting the backward classes and especially the untouchable. There was no word of 'economically backward'. The word brought to the text by the British people either in Parliament or outside or in the regional Government was always backward, backward and backward. Of course, it includes untouchables.

In the year 1918, the Government of His Highness the Maharaja of Mysore appointed a committee to enquire into the means of encouraging members of backward classes in public services. In 1920, a Joint Select Committee of the British Parliament reviewed a report and emphasised the need of education advancement of depressed and backward classes.

Then in 1921, the Institution Preferential Recruitment Board had defined in London: “All communities other than Brahmins, who are not adequately represented in public services, are backward community.” In 1925, there was a Ministry Report on Reforms: “The Reforms Enquiry Commission regarding backward classes did not find an occasion to use the term, but the Ministry Report refers to its use as a synonym for the Depressed Classes (untouchables) and in contradistinction to non-Brahmins.”

In 1928, the Hartog Committee defined backward classes as “Castes or classes which are educationally backward including the depressed classes, aboriginals, hill tribes, and criminal tribes.” In 1929, the Indian Central Committee distinguished the problem of backward classes among whom may be counted aboriginals, criminal tribes and others among the less advanced of the inhabitants of British India.

In 1930, the Starte Committee in Bombay described only aboriginals, hill tribes and others. In 1930, the Simon Commission referred only to the term ‘intermediate castes’ and the non-Brahmin movement without any reference to backward and depressed classes. Again in 1932, the Indian Franchise Committee said about backward, untouchables and *shudras*. In 1932, the United Provinces Hindi Backward Classes League submitted a memorandum and suggested that the ‘Hindu backward’ as a more suitable nomenclature to include socially and educationally backward people. In 1936, reports in the Times of India on the inflation of backward classes in the Madras Presidency by inclusion of several non-Brahmin communities. In 1937, again to include economically backward classes Adoption by Travancore of the term ‘backward classes’. In 1947, a separate

reservation was provided through G.O. 3437 Public Department on 21st November, 1947 by the Government. Separate reservations provided in Madras in the services for backward Hindus for about 145 communities.

After 1947, the Constituent Assembly debate started. What happened in the debates? Pandit Hirday Nath Kunzru from UP brought explanation nomenclature for backward classes: "Delegates from North assume that backward class was victim and was, hence, really a synonym for the Scheduled Castes." Then, what happened to Shri T.T. Krishnamachari? He said: "We should not go for reservation on the basis of caste". Dr. Ambedkar replied the question of Shri T.T. Krishnamachari in the Constituent Assembly. He said that the Drafting Committee had to produce a formula which would reconsider your two points. Firstly, there shall be equality of opportunity and secondly, there shall be reasons in favour of certain communities which have not so far had representation in the administration.

This is the answer which was given by Dr. Ambedkar to Shri T.T. Krishnamachari. Why am I summarising all these things? It is because, the root lies in 1880. The first amendment took place in 1951. Till the last Lok Sabha, in the legislations of British era, everywhere, economically backward classes were not at all included either in the Constitution or in any Executive Order which was brought or which was meant for reservation for the depressed classes. Suddenly, you brought the legislation, a Constitutional amendment, by which you are giving 10 per cent reservation to economically weaker sections. That is why, let it be referred to the Select Committee. Appeals are pending before the court. Till then, 10 per cent reservation to economically weaker sections can be kept in abeyance. Even economically weaker sections category is

liable to be substantiated before the Supreme Court scrutiny. … (*Interruptions*)

You have brought in 10 per cent reservation for economically weaker sections. What is the analysis? Is it standard? Is it static? Is it reasonable under Article 14 of the Constitution? I would like to know whether it is abused or misused. The last Government, the UPA Government appointed a Commission under Major Gen (Retd.) S. R. Sinho for the specific purpose whether 10 per cent reservation can be given to the economically weaker sections under the Constitution. It was a very specific question. The reasons and objects were clearly given. That Report says that economically backward classes can be identified by States for extending welfare measures only. Reservation in Indian context is a form of affirmative action for socially and educationally backward classes alone. Economic backwardness cannot be the criteria for reservation in educational institutions and in jobs.

It was said by the Commission appointed by the UPA Government. The Government appointed a Commission. The Commission gave a very categorical report. You are setting aside the report. You are bringing it in a conspiratorial manner. I can tell that there is a conspiracy. It is because, even the copies were not circulated. … (*Interruptions*) Even it was not listed in the List of Business. Without listing it in the List of Business, bringing in a Constitutional amendment is a shame on the part of the Government. For the first time, without including it in the List of Business, a Constitutional amendment took place.

In the Sawhney case, in 1991, the former Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao wanted to bring in a symmetrical legislation; it was

struck down by the Supreme Court. …(*Interruptions*) Then, the Economic and Political Weekly made an analysis …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Are you challenging the power of the Parliament? …(*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : I am not challenging the power of the Parliament. The way in which you brought the legislation is something fishy. …(*Interruptions*) That is why I am telling to send it to the Select Committee. …(*Interruptions*)

Madam, I must be very categorical and firm. …(*Interruptions*) I am not challenging the amendment made by the Parliament. I am telling the way in which they brought the amendment gives a lot of room for suspicion. …(*Interruptions*)

So, for all these reasons, I oppose giving 10 per cent reservation to the economically weaker sections. Do not think that we are Eklavyas any more. You do not tell that your mindset should be that of Drona. The mindset of being Drona should be changed. We will prove that we are no more Eklavyas.

Thank you, Madam.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, India has emerged as the superpower which is alerting the hegemonic balance of

power. But this largest democracy is still tainted with caste-based discrimination. There has been a 37 per cent increase in atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the past decade which is very alarming. Not just prohibiting crimes, there is an urgent requirement for establishing level playing field so that the vulnerable group can be at par with the privileged.

Madam, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill 2019 is yet another effort to bring equality and by reviving the 200 points roster as against 13 points system put forth by the High Court of Allahabad. The aim of the Bill is to consider a Central Educational Institution as a unit in place of departments to ensure proper functioning of the reservation system in direct recruitment of teaching faculty.

I take the opportunity to explain this as the public might be in dilemma as to how this is beneficial. They think that department-wise reservation will yield more employment. But this is false because the number of vacancies for recruitment in each department will not be enough to support reservation. Thus, I appreciate this Bill.

Through you, Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on the necessity of promulgating the Ordinance dated 7th March, 2019. Article 123 of the Indian Constitution as interpreted by Shri H.N. Kunzru is to deal with the situation where an emergency in the country necessitated urgent action. The Clauses of UGC Guidelines, 2006 were quashed by the High Court of Allahabad on 7th April, 2017. Why did not the Government introduce the Bill in the following Sessions? The Supreme Court also gave a similar verdict on 23rd

January, 2019. The Parliament was in Session from 31st January to 13th February, 2019 in which a historic Bill was passed. Why did not the Government make an effort to legislate on the important national issue?

Madam, instead an Ordinance was promulgated on 7th March, 2019, that is just three days prior to the announcement of election. This cannot be a mere coincidence. It had a clear intention of attracting vote bank. Promulgating Ordinances time and again is going against the very nature of a Parliamentary form of Government. This House is constituted of eminent and learned representatives of people and by promulgating Ordinances on every matter, the Government is exhibiting an absolute authoritarian feature. It is discarding the views and inputs of the House and by doing so, it missed to include the Economically Weaker Sections in the Ordinance. The House legislates better laws to India by going beyond the purview of party politics. It should be given importance and respect as it deserves.

Now, coming to Section 4 of the Bill, the Clause 'b' of sub-section 1 is a valid point and in accordance with the Fundamental Rights of the minority community.

But sub-clause (a) provides for certain institutions which will be kept out of the provisions of this Bill. I would request the Minister to explain the basis of selection of the institutes. As much as I could interpret, all of them have one thing in common, that is 'science'. All the institutes fall under the category of science and technology. By doing so, is the Government again repeating the mistake of doubting the capabilities of the concerned category? When these universities have reservation for the student community, then why not for the teachers as well?

Madam, I would like to put forth a couple of suggestions. Firstly, reservation should be allowed for the universities that are excluded. It is because if the criteria put forth by them are met, by any candidate of the concerned section, then, why not the opportunity be given to him or her? After all, it is our fundamental duty to promote scientific temper in the society and what could be a better way than promoting the people who have been neglected throughout.

Secondly, a regulatory board should be constituted to ensure proper functioning of the provisions of the Bill. And, in case of any dispute, it can give quick verdicts. This is necessary because even after the Ordinance, four universities, namely Central University of Punjab, Karnataka University, Tamil Nadu University and Indira Gandhi National Tribal University, did not comply with the provisions. This would have gone unnoticed if it was not brought up by Shri Javed Ali Khan during 'Zero Hour' in the Rajya Sabha. Now the resolution of the matter, as asked upon to do so by the hon. Chairman of the Rajya Sabha, will take a lot of time, thereby either delaying the whole recruitment or else depriving the eligible. This is why, a responsible body to handle the affairs is necessary. This body should also be entrusted with the duty of looking into the redressal matter, if any, arising after employment. This is because every other day we come across cases involving hatred towards the vulnerable sections of the society mentioned in the Bill, namely Scheduled Caste, Scheduled Tribe, socially and educationally backward community and economically weaker sections and also doubting and questioning their capability …(*Interruptions*)

Madam, please allow me to speak two more minutes.

There is a high chance that the teachers will also face similar problems. A Hindi poet has put it in this manner:

"दफ्तर में सब ठीक-ठाक चल रहा था
फिर दलित हूँ मैं, मैंने बता दिया सबको..."

To avoid cases like that, which involved suicide of Rohith Vemula, this is a very important step that the Government can and should take. It cannot be done until serious steps are taken because another young girl Payal Tadvi lost her life. Sukhdeo Thorat, a Professor Emeritus of JNU and former UGC Chairman who headed the Committee to investigate the allegations of discriminatory treatment against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at AIIMS, had found that lower caste students faced discrimination in everyday lives at the premier institute.

About the measures that should be taken to check the discriminatory behaviour, he said:

> "There has to be an Act by the Government to make caste-based discrimination at the university campuses a punishable offence. Apart from this, a set of guidelines should be formulated for the upper caste students on how to behave in the presence of the students from the marginalised sections."

Finally, I would like to conclude by saying that in order to ensure the compliance of Constitutional provisions under article 14, 15 and 16, the Government must consider the suggestion and not just discard it.

Lastly, I would conclude by quoting Sheetal Sathe, a young Ambedkarite:

"Nausea served in the plate, the untouchable nausea

The disgust grows in the belly, the untouchable disgust

It's there in the flower buds, it's there in sweet songs

That a man should drink another man's blood,

This is the land where this happens

This is the land of hellish nausea."

We have to strive hard in order to change this scenario. While concluding my speech, I thank you, Madam, for giving me the opportunity.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on the issue regarding reservation of people belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes and Economically Backward Classes in education.

Madam, I hail from Chittoor constituency in Andhra Pradesh. First of all, I extend my thanks to our hon. Chief Minister, Y. S. Jaganmohan Reddy *Garu,* who implemented reservation even in his Cabinet by appointing five Deputy-Chief Ministers from Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Community and Economically Backward Communities for five important Departments – Home, Revenue, Education, Commerce and Excise. He is a role model Chief Minister in our country. He has given more than 60 per cent reservation to the people of SCs/STs communities in his Cabinet.

The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 was promulgated on March 7, 2019. The Ordinance provides for reservation of teaching positions in Central educational institutions for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes.

The Ordinance also provides for reservation of posts in direct recruitment of teachers out of the sanctioned strength in Central educational institutions. For the purpose of such reservation, a Central educational institution will be regarded as one unit.

The Ordinance will apply to the Central educational institutions which include universities set up by the Acts of Parliament, institutions deemed to be a university, institutions of national importance and institutions receiving aid from the Central Government.

However, it excludes certain institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance which have been specified in the Schedule to the Ordinance. It also excludes minority educational institutions.

I also wish to point out that the new system will consider a university or college as one unit instead of treating department or subject as one unit. So, it will not help many institutions which do not come under the 'Centres of Excellence' tag.

The reservation for OBCs was not implemented in the appointment of Professor and Associate Professor. This is evident from the fact that no OBC candidates have been appointed to the posts of Professor and Associate Professor while OBC constitutes 14.38 per cent in the appointment of Assistant Professors against its sanctioned quota of 27

per cent. The figure talks about the appointments made in the Central Universities till April 1, 2018.

This needs to be mentioned here that candidates belonging to SC/ST categories did not get their share in the appointments of all three faculty positions. The SC/ST candidates occupied 3.47 per cent and 0.7 per cent in the appointment of top faculty position, that is, Professor while SC/ST candidates have a share of 4.96 per cent and 1.3 per cent respectively in the appointment of Associate Professor against their respective quote of 15 per cent and 7.5 per cent.

Madam, in view of the above, we can see that reservation system could not be implemented properly through all these years in our country. I hope that Modi*ji's* Government will at least implement it in education as mentioned in the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar.

Thank you very much.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद दूँगा कि कई वर्षों से जिस विषय के लिए, जिस मौके के लिए इस देश के उम्मीदवार राह देखते थे, उनकी संधि उपलब्ध करके देने का एक महत्वपूर्ण काम इस बिल के माध्यम से हुआ है ।

महोदया, इस बिल की कई विशेषताएं हैं । खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोस्टर निर्माण किया गया, उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सिर्फ इसके लिए यह बिल लाया गया है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ । यह बिल लाते वक्त, अध्यापकों की संख्या निर्माण करते वक्त जो रोस्टर माना गया, वे जो 200 बिन्दु माने गए, यह इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता है । ये 200 बिन्दु मानने के बाद हर एक संस्था को रिक्रूटमेंट के अधिकार दिए गए हैं और इसलिए यह पदों की ज्यादा संख्या तैयार हुई है । मैं इसके लिए केन्द्र सरकार और संबंधित मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता हूँ । जैसे कि 200 बिन्दु मानकर इसकी संख्या निश्चित की गई है और इसकी वजह से 7 हजार अध्यापकों के पद सृजित हुए हैं । पिछले 2011-12 से हमारे महाराष्ट्र के साथ-साथ सारे देश में अध्यापकों की भर्ती के ऊपर पाबंदी लाई गई है । अध्यापकों की भर्ती का दरवाजा खुलने का काम इस विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम हो रहा है । पूरे देश में 7 हजार अध्यापकों के पद कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन इससे आगे की संधि शुरू हुई है । आगे अध्यापकों की भर्ती की जो उपलब्धियाँ होने वाली हैं, उसकी शुरुआत इस बिल के माध्यम से हो रही है ।

दूसरी बात यह है कि एस.सी./एस.टी. के साथ-साथ सोशली इकनॉमिक बैकवर्ड जो क्लॉसेज हैं, जिनके लिए पिछले टर्म में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 10 प्रतिशत का जो मौका दिया है, उसके लिए इस बार पहली बार एक संधि प्राप्त होने वाली है । भर्ती के अधिकार डिपार्टमेंट को नहीं रहते हैं । जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन्हें यह भर्ती का अधिकार दिया गया है । मैं इसलिए खुश हूँ, एक तो पिछले कई वर्षों से भर्ती के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन भर्ती करते वक्त भी डिपार्टमेंट सामने आ रहा था और डिपार्टमेंट के माध्यम से भर्ती के कई विज्ञापन आते थे, कहीं भर्ती होती थी, कहीं नहीं होती थी, तो इस बार यह 7 हजार अध्यापकों की जो भर्ती है, वह पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से की जाने वाली हैं । मैं मानता हूँ कि इस भर्ती में सही लाभार्थियों को न्याय मिले और साथ-साथ पात्र उम्मीदवारों को ही न्याय मिले ।

महोदया, रिक्रूटमेंट में अनेक बार बहुत जगहों पर गड़बड़ियां होती हैं । वैसी गड़बड़ी इस बार इस भर्ती में न हो, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

सरकार को इस तरफ पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है, क्वालिटी मेनटेन करने की जरूरत है । क्वालिटी में किसी भी हालत में कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए । इंस्टीट्यूट को जब हम रिक्रूटमेंट का अधिकार देते हैं, तो एक डर रहता है । इस सदन में भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कई माननीय सदस्य हैं । पिछले कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र एक स्ट्रेस निर्माण करने वाला क्षेत्र तैयार हुआ है । जब से आरटीई एक्ट आया, आरटीई का जितना फायदा है, उसका दुष्परिणाम उससे ज्यादा है । आरटीई के माध्यम से, जो-जो शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें स्ट्रेस में ज्यादा जाना पड़ा है । उन्हें कई मुसीबतों को सहन करना पड़ता है । बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, छात्र हैं, लेकिन वहाँ अध्यापकों के निर्माण करने की कोई सुविधा नहीं है । आरटीई का इतना दुरुपयोग हुआ कि जिस स्कूल में 20 से कम बच्चे हैं, उन स्कूल्स को बंद करने की बात आई । कई पहाड़ी इलाकों के जो स्कूल्स हैं, वहां अगर बीस से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जाता था और कुछ सहूलियतें दी जाती थीं, लेकिन वर्ष 2011 के बाद आर.टी.ई. के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के स्कूलों पर जितना अन्याय हुआ, उतना अन्याय कहीं नहीं हुआ ।

सभापति महोदया, पहाड़ी इलाकों में बच्चे ज्यादा नहीं मिलते हैं । अगर दस बच्चे मिल जाएं तो यह बहुत बड़ी बात होगी । ऐसे स्कूलों में वर्षों से एक भी अध्यापक को नियुक्त नहीं किया गया । उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी स्कूलों को नहीं दिया गया । जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं, उनकी तो हालत बहुत खराब है । जिला परिषद् और बाकी जगहों की बात छोड़िए, लेकिन जो रेकग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, उनके कई क्लासेज ऐसे हैं जहां वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति करने की परमिशन ही नहीं दी गयी है । मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई और इस विषय को लाया गया । तब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को यह कहा कि आप तुरन्त इसे चालू करें और सिर्फ यह कहा नहीं, बल्कि उसके लिए अच्छी तरह से प्रावधान किया, जिसकी शुरुआत आज इस बिल के माध्यम से हो रही है । इस बिल को स्टैन्डिंग कमेटी के पास नहीं जाना चाहिए । इसका रिजल्ट आज ही इस हाउस में होना

चाहिए । हम कितने वर्षों तक अध्यापकों की राह देखेंगे, कितने वर्षों तक अपने बच्चों को बिना अध्यापक के रखेंगे?

महोदया, हमारे महाराष्ट्र में आज भी कम से कम 13,000 अध्यापकों की जगहें रिक्त हैं । चाहे वह पूर्व प्राथमिक हो, सेकण्डरी हो, जूनियर कॉलेज हो, सेकण्डरी कॉलेज हो, सारी जगहों पर, आप कहीं भी जाइए, 'नो टीचर्स' का बोर्ड लगा है । वहां बच्चे हैं, पर 'नो टीचर्स' का बोर्ड लगा है । वहां के जो लोग हैं, वे इसके लिए आंदोलन करते हैं । वे यह मांग करते हैं कि हमें टीचर्स दे दीजिए । दूसरी तरफ, कम से कम लाखों की संख्या में बी.एड. के उम्मीदवार हैं । दुर्भाग्य से एन.सी.टी.ई. के माध्यम से बी.एड. कॉलेज चलाने की जो अनुमति दी गई, वह सरासर गलत हुआ । राज्य सरकार की एन.ओ.सी. के बगैर भी एन.सी.टी.ई. के माध्यम से बी.एड. और डी.एड. कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी गई । इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ लाखों की संख्या में टीचर्स बाजार में आ गए और दूसरी तरफ हर एक स्कूल में 'नो टीचर्स' यानी 'नो रिक्रूटमेंट' की बात हुई । इसके कारण छात्रों को अच्छी तरह से जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी, यानी 'क्वालिटी एजुकेशन' का जो मकसद था, उसके ऊपर पाबंदी लाने का काम 2014 के पहले की सरकार ने किया था । आज इस बिल के माध्यम से एस.सी., एस.टी. के लिए शुरुआत हो रही है और मैं विनती करता हूं कि एन.टी. प्रवर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी इसमें प्रावधान कर देते तो और भी ज्यादा अच्छा होता क्योंकि एन.टी. में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं और उन्हें न्याय देने की ज्यादा जरूरत है ।

सभापति महोदया, धन्यवाद । एक अच्छा बिल लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हो रहा है । इसके साथ-साथ जिन्हें न्याय देने की जरूरत थी, जैसे एस.सी., एस.टी. और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को न्याय देने का काम इस बिल के माध्यम से हो रहा है । मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): महोदया, सरकार द्वारा जो यह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 लाया गया है, जिस पर यहां चर्चा हो रही है, उसका हम समर्थन करते हैं । वास्तव में, सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है । इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से इस देश की एक बड़ी आबादी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उन्हें केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का जो लाभ मिल रहा था, वह समाप्त हो गया था । सरकार गई, माननीय मंत्री जी ने भी बताया । सरकार उच्चतम न्यायालय में गई, उच्चतम न्यायालय में रिवीज़न पिटिशन फाइल हुआ और सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया । सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ देने का ।

आज सरकार जो यह विधेयक लाई है, इसका जितना भी समर्थन किया जाए, वह कम है । विष्णु दयाल जी ने बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की कि आरक्षण कैसे समाप्त हो गया, रोस्टर बिंदु कैसे प्रभावित हुआ, लेकिन यह सब कुछ एक फैसले से हुआ । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके बाद यह कह दिया कि विभाग या विषय वार आरक्षण के रोस्टर का आधार हो, जबकि उसके पहले से यह व्यवस्था थी कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उसके रोस्टर का यूनिट माना जाता था । आज इस विधेयक को सरकार लाई । उसके कारण कई तरह से लोग प्रभावित हो रहे थे । वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, एक लंबी प्रक्रिया के कारण बहुत सारी रिक्तियां पूरे देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में हो रही थीं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं चल रही थी । आज इस विधेयक को लाने के बाद, एक तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वह प्रारंभ हो गई है और उसमें एक बड़ी आबादी को रोज़गार के अवसर मिलेंगे । इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया है । इसके लिए भी मैं सरकार का पूरी तौर पर सहयोग करता हूं ।

इसमें कई तरह की बातें आई हैं । कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी प्रारंभ में भी बोल रहे थे, उन्होंने अध्यादेश का विरोध किया । अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती, वह वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी की बात कह रहे थे, यह भी कह रहे थे कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने पूरी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम को नेस्तनाबूत कर दिया । अरे भाई, पूरे पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम को तो आप नेस्तनाबूत करना चाह रहे थे । उस पूरे चुनाव के दौरान ये सारी पार्टियां धारणा और सत्याग्रह चला रही थी और यह साबित करना चाह रही थी कि यह सरकार आरक्षण विरोधी है, इस सरकार के रहते आरक्षण समाप्त हो जाएगा! आरक्षित वर्ग के लोगों का हित इस सरकार में सुरक्षित नहीं है और आप वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं! आप उसकी बात कर रहे हैं कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को नेस्तनाबूत कर दिया गया । इस अध्यादेश को लाकर सरकार ने साबित किया है कि हमारे रहते आरक्षण की व्यवस्था को कोई छू नहीं सकता है ।

आपके दाँत दो तरह के हैं, आपके एक दाँत खाने वाले हैं और एक दाँत दिखाने वाले हैं । दिखाने वाले दाँत का उपयोग आप चुनाव के दौरान कर रहे थे । हमारे बिहार में घूम-घूम कर लोग धारणा दे रहे थे, बिहार के यहां कई साथी हैं, घूम-घूम कर लोग धारणा दे रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, बड़े-बड़े क्रांतिकारी नेता हो गए थे, जिनको यह भी पता नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था को कोई समाप्त नहीं कर सकता, वे भी आरक्षण पर बोल रहे थे । इनके वह दिखाने वाले दाँत थे, जो ये चुनाव के दौरान इस देश को दिखाना चाह रहे थे और अब खाने वाले दाँत दिखा रहे है, कह रहे हैं कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए । अगर आप आरक्षण के समर्थन हैं, आप उन गरीब अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको एक स्वर में कहना चाहिए था कि सरकार जो यह बिल लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं और बिना बहस के पास करते हैं ।

आज आप वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं! अरे, वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इस देश की बड़ी आबादी जो महरूम हो गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से,

उसको सरकार ने दिया, यह वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी थी, जिसको सरकार ने स्थापित करने का काम किया । इसलिए, मैं इस बिल का पूरे तौर पर समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से सरकार ने एक बड़ी आबादी को, जो आबादी महरूम हो गई थी, उसको न्याय देने का काम किया गया । मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to deliberate on the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Again, this Bill emanates from an Ordinance, which was promulgated on 7 March, 2019. This was given effect to because of judgements of Allahabad High Court, which was again concurred by the Supreme Court of India. Sub-Clause (c) of Clause 6 and Sub-Clause (a) of Clause 8 of UGC Guidelines of 2006 provides that the cadre or unit for determining reservation roster points in teaching posts in Central Universities should be the University or the College and not the Department or subject. However, the said Clauses were quashed by the Allahabad High Court on 7 April 2017, which was upheld by the Supreme Court. The Supreme Court took a stand that the cadres cannot be combined for the purpose of reservation. In a way, this cast aspersion on the decision of the UGC.

Thus, this Government says that it adversely impacted the teaching process and academic standards. I have heard the Minister explain in detail about the vacancies that has been caused because of the High

Court and Supreme Court judgement. But I would like to understand this. How the standards have been hampered, namely, the academic standards have been hampered and teaching process have been hampered? Is it because of the vacancies of around 7,000 that has actually hampered it or is there something else that needs to be explained?

Further, how many such posts have been filled up after the Ordinance was promulgated? When there are vacancies of more than 7,000 teaching professionals, how many have been actually recruited within the last 3-4 months' time? For reservation of posts in direct recruitment of teachers, out of the sanctioned strength in the Central Educational Institutions, a Central Institution will be regarded as one unit and not one Department of that Institution. This is the crux of the Bill today for consideration.

The necessity of promulgation of Ordinance has been put forth by the Government. One can never justify an Ordinance. It is an Executive Order, which is imposed on the country without the popular support. An Ordinance was promulgated before the election. Were you so sure that you will be coming back to power and will be piloting this Bill for concurrence of this House?

Let us understand that this Ordinance could have waited for so long. The vacancy of 7,000 did not arise immediately. Vacancies were there, and we have heard during the last Lok Sabha where Members have been ventilating their anger that for a specific Department, advertisements were being made or for specific institutions, advertisements were being made. It was not to fill up the total vacancy that was there in that institution or University. It was partly done, and

that was one of the major reasons why people had gone to the Allahabad High Court, and subsequently the Supreme Court took cognizance of it.

Are you tiding over that problem? I do not find any mention of the fact that whenever advertisement will be made, it will be made for the full strength that is sanctioned, and accordingly the reserved category can get recruited in that University.

But you were in a hurry. Then, tell us how many teachers have been recruited after the Ordinance came into force? What is the time-frame within which most of the vacancies would be filled up?

In Odisha, there is a Central University in Koraput. Hon. Member from Koraput is also present here. A large number of vacancies are there. I think, that university is functioning with only 11-12 faculty members. Can you imagine a Central University functioning with only 10-12 faculty members? How best that university is functioning can very well be imagined?

The Supreme Court took a stand that cadres cannot be combined for the purpose of reservation. Some find merit in this contention but because of this process of recruitment had come to a complete standstill leaving more than 7,000 faculty vacancies in various Central Universities, this has adversely affected the teaching process and the academic standards.

Here, I come to a clause which needs a little bit of elaboration. That is clause 3. Actually, here the crux of the Bill is very much mentioned. Clause 3 is in two parts. One is: `Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers' cadre in a

Central Educational Institution to the extent and in the manner as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette'. I was given to understand that it is the UGC which actually determines about the manner and the extent to which recruitment will be done. But here in this clause 3, it is categorically mentioned - the Central Government by notification in the Official Gazette. That means, whether the HRD Ministry will be issuing this notification or the UGC will be empowered to issue the notification. This needs some clarification.

Second part is: `For the purpose of reservation of posts, a Central Educational Institution shall be regarded as one unit.' I support this because for one unit when an advertisement is issued and recruitment is made, it should be made for the totality of the vacancies that is there.

With these words, I conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on such an important Bill. I stand here to support the Bill obviously because it is in the interests of the people, who deserve to contribute to the development of India. Education is a very important and integral part of the growth story of India.

There are two or three pointed questions. I would like to ask the hon. Minister. The Minister has talked about the entire mess created by the Department. Originally, what was the bifurcation of reservation? You went to court. In that, you got caught in your own trap. I have no idea of this magic number of 13. Where did it come from? You could kindly

explain to me where this number does come from? What was the Government's legal system doing when this unnecessary chaos was created? Shri Rajiv Ranjan *ji* talked about a very positive step, and people went out. It is these people who went out on the road, and that is why this Ordinance has come. Otherwise, what was the need of an Ordinance? You could have brought in a Bill. None of this was required.

Shri Raut talked about Right to Education being in a mess. I am actually surprised. It is one of the flagship programmes of India. So, I want clarifications from the Government. Is the Government not supporting the Right to Education? He said that school has to be shut if 20 children are not studying in the school. That is not the case. Even if there are less than 10 children in a tribal area, schools can function. In the last five years, both in the Central and in Maharashtra, we have the same Party in power. They have brought in this law. If there are less than 10 children, then, you may close schools. We have vehemently opposed it. Even if there is one child, there has to be a school to provide access to education. That is the spirit and soul of the Right to Education. What is reservation for? This reservation is for opportunity for all. I am coming to this 13 number again. Now, you have changed this again because you had no option. The Supreme Court had quashed it. Thank God, somebody in Bihar raised it. If nobody had raised this, you would have pushed it through. It was only a political motive. When you realised elections were coming close, that was the only reason you brought in. Otherwise, what was the reason? Please explain to me. That Ordinance is not the route. When you have such a huge majority, you could have passed in the form of a Bill. You have got knotted in your own trap. That was the real truth. It is unfortunate that the common man gets trampled in it.

What about the vacancies? I was just going through some data, and how the bifurcation is done about it. I have no idea from where you got this 13 magic number. About these appointments and the vacuum that have created, I would take Shri Mahtab *ji'*s question forward. This is not only about reservation of jobs. This is about good quality education for the future of this country. The focus of this reservation should always be giving quality education. समानता सबको मिलनी चाहिए, भले ही वह बच्चा बिहार का हो, बारामती का हो, मुम्बई का हो, बंगलौर का हो । सबको अच्छे दर्जे की शिक्षा मिलनी चाहिए इसलिए तो हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए थे । सभापति जी, तब हम उस तरफ थे और आप इस तरफ थीं । मुझे याद है, तब आपने भी साथ दिया था, आप भी तब पार्लियामेंट में थीं । With full majority we had passed the Right to Education Bill.

One more question I would like to ask you. What is this ideal number in a unit? How would you handle the Vice-Chancellors? When the question comes of the Vice-Chancellors, will you club all the Central Universities and give reservation? How will promotions work? There is no clarity in any of these - for example, career advancement, recruitment, promotion. What is the percentage of benefit accrue to the people?

I will give a simple example. In the last elections, where your Party formed the Government was committed to give reservation to Dhangar community in the first Cabinet meeting. Till now 200 Cabinet meetings have taken place. No reservation to Dhangar community has been given in the SCs/STs, which has been their demand consistently for the last five years. The Maratha reservation was not given by the Government. They had to get on to the streets, fight it, and the courts have given the Maratha reservation. So, reservation to Dhangar community has not been given. How will children from this community be included in this?

Thank God - hon. courts have given the Maratha reservation. What is the opportunity outflow of this?

Thousands of vacancies are there. I am making this pointed question for my own knowledge. I am not an expert on this. I will give an example of Tamil Nadu since Shri Raja *ji* spoke here. Advertisements is for 113 seats; reservations are only for 40; and the quota, according to what you have put out, is 56. So, how is this gap? If there are only one or two seats, how would you go about it? All Central Universities were formed decades ago. Suppose if there are only two seats for senior teachers, how would the SCs, STs, OBCs get it? At this rate, this would just be an icing on the cake. It would really never trickle down to the bottom. If there are only two seats, how would you do it? So, I want a complete clarification about its implementation because I have serious questions on reservations.

Even Shri Raut *ji* has said that there are 7,000 vacant posts in Maharashtra. I want to ask him this. This is the official data. It is your Government in Maharashtra, not our Government. I am quoting your Government data, which says that in Government jobs, in category A, B, C and D, the total number is 7.17 lakh teachers. Vacancy stood at 1.91 lakh teachers, which is 26.6 per cent. I would urge Shri Raut. He is such a honest man. In his speech, he always talks the truth. That is one thing about *Shiv Sena;* they always talk very honestly.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : माननीय सभापति जी, माननीय सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं, मराठा आरक्षण के बारे में कहा कि कोर्ट ने मराठा आरक्षण दिया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया । मैं खुलासा करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ....

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: If it is about education, I would yield. But I would not yield for Maratha reservation. No, I am not yielding for this. The point is, when you talk about categories A, B, C and D, it was 7.17 lakh vacancies. He himself said that - his Party was part of the Government in Maharashtra - 26 per cent of Government posts in Maharashtra are vacant today. How is this reservation going to benefit? This is my pointed question. I expect the hon. Minister to give us clear answers. We are not opposing this Bill; we are supporting this Bill. But I do not buy your argument. Nobody here is so naive to believe that this Ordinance is in the interests of the nation.

16.00 hrs

You got caught in your own trap because your legal system, after this UGC came, came up with this 13-point roster system. I do not have any idea where it came from. It is when people got on to the roads, this Government woke up. There were elections and that is when you agreed to restore the 200-point roster system. So, I am actually disappointed that every day we are arguing on Ordinances. What is this Government doing with such a huge majority? If Bills had come, we would be happy to support them. You are caught in your own web. You cannot take the credit for it. The credit goes to the common man who created a huge agitation and that is exactly why this Ordinance has come.

श्री गणेश सिंह (सतना): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधयेक, 2019 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं । सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अध्यादेश को कानून के रूप में बदलने के लिए यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है । यह वाकई में एक बहुत बड़े वर्ग को, जो न्याय से वंचित हो रहे थे, उनको न्याय दिलाने में सहायक होगा । हमारे संविधान में एस.सी. वर्ग को पन्द्रह प्रतिशत, एस.टी. वर्ग को साढ़े सात प्रतिशत और ओ.बी.सी. वर्ग को 27 प्रतिशत का जो आरक्षण दिया गया था, केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिया गया था । लेकिन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, चूंकि 200 प्वाइंट रोस्टर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, एस.सी, एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण प्रत्येक विषय और विभाग में प्रत्येक स्तर के पदों को एक ईकाई माना जाना चाहिए न कि विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विषय और विभाग में प्रत्येक स्तर के पदों को एक ईकाई माना । बाद में, जब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील गयी तो सर्वोच्च न्यायालय ने 21.7.2017 को भी उस अपील को खारिज कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखा । यह एक संवैधानिक संकट था और इस संकट के समाधान के लिए जो एक कानूनी अड़चन आई थी, उसका समाधान करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेज को एक विभाग व विषय के बजाए एक ईकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षक के काडर में आरक्षण अध्यादेश लाया गया । इस निर्णय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मापदंडों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक काडर के खाली पदों को बड़ी तादाद में भरा जाएगा । हमारी सरकार का यह निर्णय बहुत स्वागतयोग्य था । अभी यहां पर कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन जी कह रहे थे कि इसको स्थायी समिति के पास भेजा जाए ।

16.03 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

शायद वह भूल गये कि स्थायी समिति में भेजने से फिर से इतने बड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होगा । 16 वीं लोक सभा में मैं ओ.बी.सी. स्टैडिंग कमेटी का चेयरमैन था । उस समय मेरी कमेटी में यह विषय चर्चा के लिए आया था । उस कमेटी में सभी दलों के सदस्य थे । हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 200 प्वाइंट का रोस्टर फिर से लागू किया जाए, ऐसी सिफारिश संसद में की थी ।

जब आरक्षण का कोई विषय आता है तो स्वाभाविक रूप से तरह-तरह की बातें उठती हैं । मैं मानता हूँ कि देश का माइंड सेट अभी सेट नहीं है । भारत के संविधान ने आरक्षण दिया है जो शैक्षणिक, और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उनको विशेष अवसर मिलने का संविधान में अधिकार मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर माइंड सेट नहीं हुआ तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । अभी डी.एम.के. के नेता ए. राजा कह रहे थे कि हमारी सरकार ने उच्च वर्ग के गरीबों को **10** प्रतिशत का जो आरक्षण दिया, वह गलत किया । एक तरफ वे ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के पक्ष में हैं, लेकिन जब उच्च वर्ग के गरीब बच्चों को न्याय दिया गया तो उसका विरोध करना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है ।

SHRI A. RAJA: I did not say 'wrong'; I said 'constitutionally not valid'.

श्री गणेश सिंह : कांस्टीट्यूशन में संशोधन हुआ था तभी तो उनको अधिकार मिला ।...(व्यवधान) नहीं, मैं तो माइंड सेट की बात कर रहा था । अभी यहां पर अधीर रंजन जी कह रहे थे, लेकिन शायद वे भूल गए कि जब वर्ष1990 में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 परसेंट आरक्षण मिला था तो इसी सदन में उनके नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने पुरजोर विरोध किया था । आरक्षण का जब-जब मामला आया, तब-तब हमेशा कांग्रेस की दोहरी नीति रही है, लेकिन भारतीय

जनता पार्टी में हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इस देश के लोगों से कहा था कि "सबका साथ सबका विकास " जब सबका साथ की बात उन्होंने कही तो स्वाभाविक है कि सामाजिक न्याय उसके साथ जुड़ा हुआ है और सामाजिक न्याय के चलते उन्होंने इतने बड़े-बड़े फैसले लिए । संविधान संशोधन हुआ । वर्ष 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था । सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1993 में पिछड़े वर्ग का एक आयोग गठित करने के लिए निर्देश दिया था । सरकार ने आयोग तो बनाया, लेकिन उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला । जब वर्ष 2017 में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पास जाकर हम सब लोगों ने इसकी जानकारी दी, तब उन्होंने 123वां संविधान संशोधन कराके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया । हमें इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा । कांग्रेस के मित्रों को विचार करना चाहिए कि आप न तो पिछड़े वर्गों को न्याय देने के पक्ष में हैं, न अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को न्याय देने के पक्ष में हैं । आखिरकार आप क्या चाहते हैं? यह देश जानना चाहता है । अभी अधीर जी संविधान सभा की दुहाई दे रहे थे, आपातकाल जब आए तभी अध्यादेश आना चाहिए । अभी 25 जून तो बीत गई । आप लोगों ने देश के साथ क्या किया था जो फिर से उसको याद दिला रहे हैं । एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी संख्या इस देश में 85 प्रतिशत है, उनको जब सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, तब वह वर्ग कहां जाएगा? वर्ष 2017 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने रोका था और लगभग 7 हजार से ज्यादा पद रिक्त रह गए । सारे विश्वविद्यालयों में भर्तियां बंद कर दीं । ऐसी स्थिति में सरकार के सामने निश्चित तौर पर कोई न कोई निर्णय लेने का काम करना था और वह ऐतिहासक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, जिसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ ।

सभापति महोदय, डी.ओ.पी.टी. ने 2 जुलाई, 1997 को 200 पॉइंट का रोस्टर लागू किया था। इसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का तीन स्तर पर केडर बनाने का प्रावधान किया गया था । इसमें विभाग की बजाय विश्वविद्यालय व कॉलेज को यूनिट मानकर आरक्षण लागू किया गया था । चूंकि उक्त पदों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय करता है, न कि कोई उनका विभाग । इसके तहत विश्वविद्यालय

को एक यूनिट माना जाता था, जिसके तहत 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग के लिए और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था की गई थी ।

13 प्वाइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने की बजाय विभाग को यूनिट माना गया । इसके तहत पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया, चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए, पांचवां और छठा पद सामान्य वर्ग के लिए, सातवां पद अनुसूचित जाति के लिए, आठवां पद ओबीसी के लिए, नौवां, दसवां और ग्यारहवां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए, 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां पद सामान्य वर्ग के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है । यह रोस्टर इतना हास्यास्पद था कि अनुसूचित जनजाति, जो समाज का सबसे अन्तिम पायदान है, उसको आपने आरक्षण के लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिया । इस तरह से 13 प्वाइंट रोस्टर के लागू होने की स्थिति में आदिवासी वर्ग को आरक्षण का कभी लाभ नहीं मिलेगा । इस बात को लेकर हमारी सरकार चिन्तित हुई कि 14वें पद संख्या तक आते-आते अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निष्क्रिय हो जाएगा । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में से कई ऐसे हैं, जिनमें मात्र एक-दो या तीन प्रोफेसर्स ही विभाग को संचालित करते हैं । वहां पर कभी भी एससी, एसटी या ओबीसी को मौका नहीं मिलता है । हमारी सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होने पर 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण पदों पर होने वाली नियुक्तियों का अध्ययन भी कराया, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था । उसमें पूरी तरह से साबित हुआ कि आरक्षित वर्ग की नियुक्ति न के बराबर हुई और इसका पूरा-पूरा लाभ सामान्य वर्ग को मिलेगा ।

सभापति जी, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने संबधी सभी विकल्पों पर विचार करते हुए महसूस किया कि रोस्टर तैयार करने के लिए विभाग को एक इकाई मानकर आरक्षण करने वाले इस विवादास्पद आदेश का कार्यान्वयन न्याय की अवहेलना

होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को संकट में डालना होगा ।

सभापति महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यह कानून बन रहा है, लेकिन एक बड़ा विषय यह है कि जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में एक एडवाइजरी जरूर भेजें और सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि यह जो कानून यहां से बनने वाला है, उस कानून का पालन पूरी तरह से राज्य विश्वविद्यालयों में भी होना चाहिए ।

सभपति जी, मैंने इसी सदन में 11 फरवरी, 2019 को एक प्रश्न पूछा था । उस प्रश्न के उत्तर में मुझे जो जानकारी भेजी गई थी, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 तक 5,606 शिक्षण पद और 11,429 गैर-शिक्षण पद रिक्त थे । इसी क्रम में, आईआईटी में 2,813 पद, एनआईटी में 3132 पद रिक्त थे । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 1/4/2018 को 11,486 शिक्षण पदों में ओबीसी मात्र 1,113 हैं और 23,678 गैर-शिक्षण पदों में ओबीसी मात्र 2,537 हैं । इस तरह की स्थिति है, इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं । इन सभी पदों को भरने के लिए, इस कानून के बनने के बाद एक रास्ता खुलेगा और निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को उसका पूरा लाभ मिलेगा ।

मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बिल को लाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairperson Sir, for giving me this opportunity to support The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Sir, if we go into the details of this Bill, it is mainly about reservation of posts in appointments to the teachers' cadre by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes and economically weaker sections in educational institutes established, maintained or aided by the Central Government. इधर हम लोगों की बात चलने के समय में स्टेट्स के बारे में भी कुछ बात चल रही थी । आज टीचर कैडर के रिजर्वेशन के लिए चर्चा हो रही है । Around 7,000 existing vacancies को भरने के लिए यह बिल आया है । इससे सभी राज्यों को एडवांटेज मिलेगा । सभी राज्यों के केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में और भी टीचर्स आने के चांसेज हैं । शुरू से ही हमारे नेता के.सी.आर. साहब ने SC, ST, OBC, minorities and economically backward के रिजर्वेशन के लिए काफी सपोर्ट किया है । स्टेट गवर्नमेंट से एसटीज और माइनॉरिटीज के लिए असेम्बली से पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा था । जिस तरह से हम लोग सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इश्यू आने पर हाउस में मदद कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू में सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद करे । Education is very important in our country. राइट टू एजुकेशन का बिल बहुत दिन पहले पास हुआ है, तब भी बैकवर्ड एरियाज में बहुत लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है । हाउस को एजुकेशन के बारे में और भी गहराई से चर्चा करनी चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए । अभी हमारे कुछ साथियों ने इस पर अपनी बात कही है । उन्होंने बोला है कि इस रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद इसके इम्प्लिमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेज हैं । आप इम्प्लिमेंटेशन बहुत पक्के तरीके से करें । इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का जवाब दिया है । वह जवाब यह है कि पूरे देश में 45 जिलों में नवोदय विद्यालय बनाने हैं । उन 45 जिलों में से 23 जिले तेलंगाना से बिलाँग करते हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर के.सी.आर साहब हर समय सपोर्ट करते हैं, उसके लिए लैंड रेडी है और बिल्डिंग्स भी रेडी हैं । 43

जिलों में केन्द्रीय विद्यालय बनाने की जो योजना है, उसको आप तुरंत कंसीडर करें ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात इस सदन से कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य को बने छ: साल हुए हैं । हम लोगों को छ: साल पहले सेपरेट स्टेट मिला है । हमारे नेता के.सी.आर साहब ने एससी, बीसी और माइनॉरिटीज लोगों को ध्यान में रख कर 700 गुरुकुल, आवसीय पाठशालाएं खोली हैं । एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, बीसी और सभी पिछड़े लोगों के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमारे नेता ने यह निर्णय लिया है । अभी करीब दो लाख छात्र इनमें पढ़ रहे हैं । हम लोगों ने बहुत सुविधाएं दी है । वहां स्कूल्स सीट्स के लिए काफी रेकमेंडेशंस चलती हैं ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि आप हमारे 23 जिलों के केन्द्रीय विद्यालय के लिए परमिशन तुरंत दे दीजिए । जिस तरह से हम हाउस में आपकी मदद कर रहे हैं, उसी तरह से आप हमारे राज्य की भी मदद कीजिए । मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill regarding education.

Keeping the constraint of time limit, I would like to make my point straightway. The first point is that sub-clause (c) of clause 6 and sub-clause (a) of clause 8 were both struck down by the Supreme Court. I like the way the Government is standing up to that decision. I like the way it is presenting itself. This is the right way forward. It is a very good

decision. That is the way to implement this reservation. More than agreeing to the fact that it is the right way for reservation, I like the fact that the Government is standing up to the Supreme Court, which is the right thing to do when it comes to doing good for the people. I hope that this Government will take such steps in the future also. I just want to ensure that the courts do not come in the way of implementing this Act in the future. I would like to request the Government to ensure that this happens in the right way.

There are seven thousand vacancies that need to be filled up. There are many institutions with reservations but if we consider today there are a lot of institutions where even though the Act is being implemented in many of them, including the Railways and other organisations and institutions, there are still pending vacancies. So, I would like to bring to the notice of the Government, through you, that even after the formulation of this Act, there would be a huge responsibility on the Government to fill up these seven thousand vacancies. So, the Government will have to work with a lot of concentration in the implementation to ensure that the rights of the backward classes, the Scheduled Tribes, and the Scheduled Castes are protected and their aspirations are fulfilled.

Maybe my next point does not come within the purview of this Bill because this Bill extends reservation to the teachers' cadre but I would like to know from the Government whether it is thinking about the non-teaching staff also. There is a lot of vacancy in the non-teaching staff and that is also very important for smooth, transparent, and efficient running of the institutions. So, I would like to know from the Government if it is thinking of extending this kind of reservation and if this kind of an Act is going to be brought in for non-teaching staff also.

I have a couple of other points also. I would like to know from the Government why certain institutions are not included. The talent has to be there in certain institutions, which cannot be run through reservations. There needs to be a certain amount of talent; that needs to be ensured. But I would like to know from the Government itself what is the line they have decided on what is to be included and what is not to be included. We see that this Bill does not apply for institutions of excellence, research institutions, institutions of national and strategic importance, and minority institutions. So, I would like to listen to the explanation of the Government itself on what lines they are dividing these institutions.

Before concluding, I want to say that I want to extend our support for the Bill in the hope that this would ensure quality education and also protect the rights of the SCs, STs, OBCs, and also the economically backward classes for whom the Government is taking a lot of interest. In the spirit that we want to play the role of a constructive opposition in the 17th Lok Sabha, we wish that the Government takes forward this good spirit in terms of ensuring quality education for the students of this country.

Thank you very much.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति जी, मैं अपनी पार्टी 'अपना दल' की ओर से 'सैंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल, 2019' के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं, जो 7 मार्च, 2019 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा । सरकार का यह कदम पूर्णतया स्वागत योग्य है, क्योंकि इसके

माध्यम से विवेकानंद तिवारी केस में वर्ष 2017 को इलाहबाद उच्च न्यायालय के जिस निर्णय के आधार पर सैंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में आरक्षित वर्गों के पदों में कटौती हुई थी, उसमें पुनः सुधार होगा । इस बिल के माध्यम से पूर्ववर्ती 200 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था, जो पहले चलती थी, वह पुनः बहाल होगी और इसके माध्यम से हमारे जो 7 हजार रिक्त पद हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होगी और देश भर के जो भी प्रतिभावान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस सैक्शन के लोग हैं, उन सभी को इसके माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे ।

महोदय, हम सभी अवगत हैं कि हमारी 200 प्वाइंट की रोस्टर व्यवस्था वर्ष 1997 से कायम है और वर्ष 2006 में एचआरडी मंत्रालय ने यूजीसी को जो निर्देश दिए, वे यही थे कि वर्ष 1997 का हमारा जो 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम है, उसके आधार पर ही आरक्षण नीति को लागू करना है । सारी समस्या तब उत्पन्न हुई, जब इलाहबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अंदर एक निर्णय दिया, जिसके अंतर्गत पुरानी 200 प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था को हटाकर 13 प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था को कायम करने का निर्णय किया गया, जिसके कारण यूजीसी को भी अपनी गाइडलाइन्स में परिवर्तन करना पड़ा। इन बदलती हुई गाइडलाइंस के अंतर्गत जो आरक्षित वर्गों के पद थे, उनमें भीषण कटौती हुई । अभी माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब ने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने इस बात को विस्तार से बताया कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के तहत कुल पदों की संख्या जब समान होती है, उसके बाद भी जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, उसमें 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के सापेक्ष, उसकी तुलना में, जो आरक्षित वर्गों के पद होते हैं, उनमें कटौती हो जाती है ।

मैं एक उदाहरण के जरिए इसको स्पष्ट करना चाहूँगी । अक्तूबर, 2017 में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्ल यूनिवर्सिटी ने 37 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया । इन 37 पदों में 15 पद आरक्षित वर्गों के लिए थे और 22 पद अनारक्षित वर्गों के लिए थे । यह तब था, जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बहाल करने का निर्णय नहीं आया था । लेकिन, इस निर्णय के बाद जब अप्रैल, 2018 में पुनः इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्ल यूनिवर्सिटी ने 52 पदों

के लिए विज्ञापन जारी किया, तो उनमें 51 पद अन-रिज़र्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के थे और केवल एक पद आरक्षित यानी रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए था । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों रोस्टर सिस्टम्स से किस प्रकार 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम न केवल सामाजिक न्याय की पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक कुठाराघात है, बल्कि एक लंबे समय से जो हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सरकारी पदों में उनकी भी भागीदारी हो, उनको यह नाउम्मीद करता है ।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उचित समय पर अध्यादेश लाकर हमारे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के साथ न्याय किया, उनके अधिकारों की रक्षा की क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर की जो प्रणाली है, उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति केवल चौथी रिक्ति होने पर ही एलिजिबल होगा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति केवल सातवीं रिक्ति होने पर एलिजिबल होगा और अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है, तो वह केवल चौदहवीं रिक्ति होने पर ही एलिजिबल होगा ।

13 पॉइंट रोस्टर की जो विभागवार व्यवस्था है, उनमें रिक्तियों की संख्या इतनी कम होती है कि बाई द टाइम कोई एससी, एसटी या ओबीसी उसके लिए एलिजिबल होगा, तब तक उसके लिए कोई वेकेंसी ही शेष नहीं बचेगी । यानी उसके लिए किसी नौकरी की संभावना ही शेष नहीं रहेगी । यह बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और इसी कारण इसका व्यापक विरोध हुआ । एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग सड़कों पर उतरे । हमारी सरकार ने इस समस्या पर ध्यान भी दिया ।

माननीय मंत्री जी, आप सदन में उपस्थित हैं । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में कितनी विकट स्थिति है । मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर आज ओबीसी समाज का एक भी व्यक्ति सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में नहीं है ।

अगर मैं एससी, एसटी वर्ग की बात करूँ, तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के पद पर केवल तीन प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं और केवल 0.7 प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं । इसी प्रकार, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अनुसूचित जाति के लोग केवल पाँच प्रतिशत हैं और एसटी वर्ग के लोग केवल एक प्रतिशत हैं ।

माननीय मंत्री जी, मुझे कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि दशकों से जारी आरक्षण व्यवस्था के बावजूद सरकारी विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह पर्याप्त नहीं है । यह बेहद निराशाजनक है और यह बहुत ही असहज करने वाली तस्वीर पेश करती है । मैं यह नहीं कहती कि इन आँकड़ों के लिए आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने अभी-अभी इस अहम मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया है । लेकिन, मैं स्वयं पिछड़ी जाति से आती हूँ और इस समाज की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके यशस्वी नेतृत्व में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के पद पर हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी ।

माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा विषय है । कांग्रेस के फ्लोर लीडर इस विषय को रख रहे थे । मैं उनसे भी जरूर पूछना चाहूँगी कि आपने तो लम्बे समय तक देश के अंदर राज किया है, तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? आज मैं जिन आँकड़ों का जिक्र कर रही हूँ, उनके लिए कहीं-न-कहीं आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो हमारी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसायटी है, जो कमजोर तबके हैं, उनका टीचिंग फैकल्टी में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए ।

आज देश की स्थितियां ये हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी बैकलॉग वेकेंसीज़ की संख्या 28,713 है । यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, यह छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है । यह आंकड़ा इतना बड़ा कब हो गया? यह इतने वर्षों में हो गया और इतने वर्षों में इस आंकड़े को कम करने के लिए सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? यह सवाल तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जाता है । आपने सबसे ज़्यादा समय तक

राज किया है । इस आंकड़े को कम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई? अगर चलाई गई, तो वह कितनी इफेक्टिव थी? क्या उसको ईमानदारी से चलाया गया? क्या वह स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एससी, एसटी, ओबीसी को ठगने की सिर्फ एक औपचारिकता थी? इसलिए इन बैकलॉग वेकेंसीज़ का फिगर 28,713 है ।

सभापति जी, आज देश के प्रधान मंत्री स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए जो देश का वंचित तबका है, उसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं । उसे लगता है कि हमारे साथ न्याय होगा । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आपके नेतृत्व में यह संभव हो, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, कमज़ोर वर्गों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दशा को सुधारने के लिए अभी भी ठोस और ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है । मुझे मेरी सरकार से पूरी उम्मीद है । मैं अपनी पार्टी - अपना दल की ओर से पुन: सरकार का अभिनंदन करती हूं, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं ।

मैं अंत में यह ज़रूर करना चाहूंगी कि हाशिए पर पड़े हुए समाज को सही मायनों में न्याय दिलाने के लिए अभी मीलों लंबा सफर तय करना बाकी है ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर चल रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद ।

सभापति महोदय, मेरी पार्टी आरएलपी की तरफ से मैं प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । पिछले तीन-चार दिनों के अंदर हमने देखा है कि चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांवों का मामला हो कि 60-70 सालों के अंदर पहली बार यह सोच उत्पन्न हुई कि उन गांवों के अंदर कैसे हालात होंगे, जहां बॉर्डर के अंदर हमेशा लड़ाई चलती है, कभी बेवजह गोलीबारी भी होती है । वहां हमेशा टेंशन के अंदर लोग जीते हैं । वहां भी आपने

आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर के पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया । निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी ऐसे पहले प्रधान मंत्री हैं, जिनको नॉर्थ से लेकर देश के किसी भी कोने का हर व्यक्ति जानता है और कहता है कि वे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं । इस प्रकार लोगों का दिल्ली से एक सीधा लगाव हुआ है ।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2017 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने केन्द्रीय संस्थाओं में आरक्षण पर जो रोक लगाई थी, इस पर आप 7 मार्च, 2019 को अध्यादेश लेकर आए । सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दायर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी एसएलपी खारिज हो गई, तो आप यहां पार्लियामेंट के अंदर विधेयक लेकर आए । मैं देश के उन लाखों एससी, एसटी और ओबीसी के जवानों की तरफ से और हम सबकी तरफ से इसके लिए आपको बधाई दूंगा । प्रधान मंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया । प्रधान मंत्री जी ने जिद कर के दुनिया बदलने की हिम्मत की थी, कोर्ट में हार गए, लेकिन फिर भी यहां विधेयक लेकर आए । वे कई विधेयक पिछले पांच सालों के अंदर लाए, उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने जो कहा, वह कर दिखाया ।

जो उद्देश्य इस विधेयक के अंदर लिखे हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने करीब-करीब उन सब पर ज़ोर दिया है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर 60 सालों तक वोट लिए और खाली अखबार में छपने के लिए खड़े होकर हर विधेयक का विरोध करती है । इनको पता ही नहीं कि ये क्या चाह रहे थे । मैंने उनसे कहा कि इतना तो बताओ कि आप किस साइड में हो? इन्हें बस आधा घंटे, बीस मिनट तक अखबार में बोलना है । हमें इन लोगों को बार-बार झेलना पड़ता है ।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शक, 2006 के खंड-8 के उपबंध में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों में आरक्षण रोस्टर बिंदु का अवधारणा करने के लिए कैडर या यूनिट का आधार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय होना चाहिए, विभाग नहीं होना चाहिए, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण सुरक्षित रहे । इसके लिए मंत्री जी को बधाई । यह भी सही बात है कि 7 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है । अगर 7 हज़ार

पद भरे जाएंगे, तो निश्चित रूप से एससी, एसटी और ओबीसी, जिसका प्रतिशत इस देश के अंदर 70 प्लस हो जाएगा, उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ।

मैं तो प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर आरक्षण आंदोलन को फेस किया । हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन चला, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन चला और कई जगह भी आंदोलन चले । हम तो प्रधान मंत्री जी से मांग भी करेंगे कि जहां-जहां आरक्षण की मांग चल रही है, लोग आरक्षण को लेकर उद्वेलित हो जाते हैं, अगर संबंधित सरकारें समाधान नहीं कर पाती हैं, टेबल-टॉकिंग नहीं हो पाती है, तो झगड़े हो जाते है, गोलियां चलती हैं, उसमें हमारे बच्चे शहीद भी होते हैं । इससे उन समाजों को ठेस लगती है कि हमारे बच्चे आंदोलन में शहीद हुए ।

मैं प्रधान मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि प्रत्येक समाज को आरक्षण देना चाहिए । मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 10 प्रतिशत आर्थिक आधार सवर्णों के आरक्षण की पहल की है । इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । छत्तीस कौम इनको आशीर्वाद दे रही हैं । पहले एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण था, तब सवर्णों के मन के अंदर यह बात रहती थी कि हम पढ़ रहे हैं और ये लोग आरक्षण ले रहे हैं । भाई भाई से नाराज हो जाता था कि यह क्या बात हुई, पढ़ाई तो मैं भी कर रहा हूं । जब 10 प्रतिशत आरक्षण आपने किया है तो देश के अंदर एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है । वह गांव के अंतिम छोर पर, ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी न्याय दिलाएगी । जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरक्षण आपने शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है । अब तो जम्मू कश्मीर से बहुत उम्मीदें हैं । पूरा देश कह रहा है कि इस बार धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का टंटा ही खत्म करेंगे । इसलिए देश के जवानों ने 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 50 सीटें देकर भेजा है, एन.डी.ए. को । अगर धारा 370 हट जाए तो हमारे सभी लोग, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से कोई अन्य कहीं से जमीन लेने जाएंगे । आप एक बार इस धारा को हटाइए, फिर देखते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का सिस्टम ठीक नहीं होगा ।

माननीय सभापति : प्लीज कन्क्लूड कीजिए ।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं । मैं इस सबके लिए मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । मंत्री जी से एक निवेदन यह भी रहेगा, जिसमें हमारा आपको बारम्बार धन्यवाद है और हर तरीके से है । यहां भी नहीं, आप कहेंगे तो लाखों एस.सी., एस.टी. के लोग रैलियों के अंदर आपका अभिनन्दन भी कर देंगे कि मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी क्या चीज़ लाए हैं । केन्द्रीय विद्यालयों में एम.पीज. के दस एडमिशन होते हैं । उन दस एडमिशनों के लिए आपने कह दिया कि अपने संसदीय क्षेत्र में ही कराइए । मान लीजिए हमारी पार्टी स्टेट की पार्टी हो गई और आपने कह दिया कि उन एडमिशंस को अपने-अपने इलाके में करा लीजिए । प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं सारा एन.डी.ए. हमारा परिवार है तो इनको ज्यादा एडमिशन दीजिए । हमारे साथ-साथ हमारे बी.जे.पी. वाले भाइयों को भी दीजिए ।

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, आप मुझे एक मिनट का समय और दीजिए । सभी को मजा आ रहा है । मंत्री जी आप पचास-पचास एडमिशन दीजिए । हम एडमिशन ही तो मांग रहे हैं, नौकरियां थोड़े ही मांग रहे हैं । हमारी चौधरियत तब ही चलेगी, जब आप एडमिशन का कुछ करेंगे, वरना खत्म हो जाएगी । बाकी हम आपको ट्रांसफर, पोस्टिंगों का काम नहीं बताएंगे । मैं सदन में बताना चाहूंगा कि देश में एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. की 72 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद केवल 10 फीसदी कुलपति के पद ही एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. के पदों से भरे हुए हैं । आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण तो अभी चालू किया है । देश भर की यूनिवर्सिटीज में 496 ओ.बी.सी. के पदों में से केवल 48 ही एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. के वाइस चांसलर्स हैं । इस बिल के आने से यूनिवर्सिटी कोटे की एक इकाई माना जाएगा । आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में लाया जाए । मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप एक ऐतिहासिक बिल लेकर हैं । ऐसे बिल आप और भी लेकर आइए, जिससे ज्यादा फायदा होगा । आप और अच्छे

बिल लाइए और बेकार बिल जो कांग्रेस वाले लाए थे, उन बिलों को धीरे-धीरे खत्म कीजिए । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति जी, मैं डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे हूं । आज डॉक्टर्स डे की बहुत-बहुत बधाई । मैं सारे डॉक्टर्स को बधाई देना चाहती हूं । केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण), विधेयक पर आपने आज मेरे विचार सभा के समक्ष रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं । यू.जी.सी. ने वर्ष 2006 में अपने निर्देशों में साफ तौर से यह स्पष्ट किया था कि जब भी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया जाएगा तब इकाई विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, न कि विषय या डिपार्टमेंट । इसके तहत ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न विभागों में शिक्षक और समकक्ष पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । जिसकी वजह से पूरी भर्ती की प्रक्रिया ठप्प पड़ गई थी । इस ठप्प प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया था, उसको आज हम विधेयक का स्वरूप देने जा रहे हैं, जिससे न कि सिर्फ अध्यापकों का, बल्कि इससे जुड़े हुए सैकड़ों छात्रों का भी बहुत फायदा होने वाला है ।यह सही भी है । माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से उदाहरण देकर यह बताया था कि विद्यालय को इकाई रखने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर प्राप्त होगा, उनको मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा और 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' हमारे प्रधान मंत्री जी का मूल वाक्य है, उसको वास्तविकता में जीने का उनको अवसर मिलेगा ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि न सिर्फ आज हम यह विधेयक लाने जा रहे हैं पर इससे संबंधित जो वित्तीय आवश्यकता थी, उसकी भी मंजूरी मिल गयी है, जिसकी राशि करीब 700 करोड़ रुपये की है । लोग इसकी तरफ सात हजार

वैकेन्सीज़ के रूप में देख रहे हैं और मैं इसको सात हजार ऑपर्च्युनिटी की तरह से देख रही हूं । क्या यह नये रोजगार का निर्माण नहीं है? हमें हर जगह बार-बार विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ता है । यहां हम सामाजिक न्याय तो प्रस्थापित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नये लोगों को इसमें चांस भी मिलेगा । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उनमें ज्यादा से ज्यादा फ्रैशर्स को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं युवाओं के साथ न्याय कर पाएंगे । इन सबके साथ, This brings me back to the crux of the whole situation. इस सदन में मैं पहले भी इसकी मांग कर चुकी हूं और हमारे नेता श्री गोपीनाथ मुंडे की भी हमेशा यह मांग रही है कि ओबीसी की जनगणना हो । हमारी संख्या जनसंख्या में कितनी है, जब तक इसका हमें पता नहीं चलेगा, तब तक 27 प्रतिशत का आरक्षण किस आधार से है । समस्या केवल इतनी ही नहीं है, 27 प्रतिशत का आरक्षण होने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर हम 27 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं । पिछली संसद में मैं ओबीसी कमेटी की मैम्बर थी । मेरे से पूर्व गणेश सिंह जी जो हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी । हर डिपार्टमेंट को बुलाकर हम ब्योरा लेते थे । किसी भी डिपार्टमेंट में 27 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो पाया था ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगी कि अब ऐसी चीजें न हों । हम ओबीसी कमेटी में भी यह विषय ले चुके हैं और अब हमारे ओबीसी कमिशन को संवैधानिक दर्जा मिल रहा है, इसके बाद ऐसी चीजें नहीं होंगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करती हूं । मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय हो रहा है और सबसे निचले तबके के आदमी तक सारे विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो जिस गुरु को हम अपने संस्कारों में सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं, उन गुरुओं के साथ न्याय होगा । इसके माध्यम से जो अध्यापक इन संस्थाओं में काम करने लगेंगे, वे भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, यही विश्वास मैं आपके सामने व्यक्त करती हूं ।

सर, अगली कुछ लाइन्स मैं मराठी में कहना चाहती हूं –

……(The issue of Maratha Reservation was a long pending issue for years together in Maharashtra. But Hon'ble Chief Minister of Maharashtra Shri Devendraji Fadnavis handled it very sensitively and he has done justice to the Maratha community. But I would not give credit only to Hon'ble Chief Minister, rather it is due to the peaceful and highly disciplined demonstrations and persuasion of Maratha community. They have set a new and unique example of peaceful agitation for rightful demands. Hence, I would like to congratulate and complement every member of Maratha community. "If it is given, it is because of court and not, because of Government" this kind of approach is totally wrong. Our BJP led coalition Government has played an important role and succeeded.

We have also fulfilled all the demands of Dhangar community. Dhangar community is enjoying all the benefits and concessions of ST community. I am sure that our Government would definitely settle the issue of Dhangar Reservation in the near future.)*

मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं । धन्यवाद ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. According to me, the provisions, as contained in the Bill, are allright. This will help to streamline the recruitment process in the national educational institutes by adhering to the reservation policy for the Scheduled Castes, the

Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes and minorities in the field of education. That provision is good. In addition to that I have my own doubts about the ten per cent reservation for the Economically Weaker Sections and I think, that this might not stand the test in the courts of law. I think you will have a reverse line in this regard. Of course, it helps the Government to tackle the hindrance arising out of the Supreme Court judgement treating the 'institution' as a unit instead of 'Department' as a unit. That obstacle is also going to be removed.

I would like to express my concern on one more point. When the power of recruitment is derived through this legislation, how is the Government going to exercise it? That is to be discussed.

I do not hesitate to say that recruitment in the country, especially in higher education, is completely polluted because of the political interest of the Government. There are only certain institutions like IIT, IIM, Central Universities, UGC, NCERT mentioned here. While posting the Head of those institutions, you have not given consideration for merit. On the other hand, certain other consideration was taken into account.

I would appeal to the hon. Minister to kindly save higher education from politicisation. You have to give due consideration to merit but unfortunately, that is not happening now.

If you take the present scenario into consideration, I do not want to name any institution and I do not want to blame anybody, only one thing is required as qualification. The qualification is, whether they are loyal to the ruling Party or not. If that is the criteria which you are going to adopt, then you are leading education itself on a dangerous path.

Similarly, there is one more aspect. It is very good that you are now trying to save certain institutions and of course, national institutions have to be saved. The hon. Minister may be knowing that the UPA Government sanctioned Regional Centres for Aligarh University. That was the most progressive step taken by the UPA Government in the best interest of the minorities. There are institutions in Perinthal Manna of Kerala, Kishanganj of Bihar and Murshidabad of West Bengal. What is happening to these institutions? All these institutions are on death bed. You are not allowing any recruitment to take place there. You are not sanctioning any fund there. They are going to have a natural death.

I humbly appeal to the Government and the hon. Minister to take a lenient view on this matter. We are all talking about minorities, OBCs and others. This was the most progressive step taken by the Government keeping the academic interest of the minorities in view. But you are now killing those institutions.

Coming to the filling up of the vacancies, the hon. Minister has stated that worst hit is the new Central Universities with 53.28 per cent vacancies remaining vacant and 47 per cent of teachers' vacancies in IITs yet to be filled up. If this is the position, how will the situation improve in the universities?

Sir, I will be concluding after raising a very important point. You are seriously attending to not only higher education reforms but also to education sector reforms. In this regard, Kasturirangan Committee Report is now under discussion. You have circulated it. It is a 500-page Report which may change the very profile of education. There are many more things to be decided and a threadbare discussion should take place on the Kasturirangan Committee Report.

The hon. Minister has given only one month for submitting the viewpoints of the stakeholders. You should give adequate time as this is not a small point. This is a very serous thing. If you go through the Kasturirangan Committee Report, I was myself a Minister for Education in Kerala, you may feel that it should be well attended to. The hon. Minister must give adequate time for the stakeholders to submit their valuable suggestions.

With these words, I conclude my speech.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): चेयरमैन साहब, मैं सैंट्रल एजुकेशनल इंटिट्यूट्शंस (रिज़र्वेशन इन टीचर्स कैडर) बिल, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

चेयरमैन साहब, मैं तीन घंटे से इस बिल पर हो रही चर्चा को सुन रहा था । जिस बिल पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं सन् 2002-2003 में, वाजपेयी जी की सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति में सदस्य था । जब वाजपेयी जी की सरकार के समय एस.सी. कमीशन और एस.टी. कमीशन बायफर्केट हुआ, मैं हिन्दुस्तान के पहले ट्राइबल कमीशन का पूर्व में वाइस चेयरमैन रहा हूँ । आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी चर्चा हई, यूजीसी के साथ भी चर्चा हुई । एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के लोगों की मांग उस जमाने यही थी कि 200 पॉइंट रोस्टर पर हमारा रिज़र्वेशन होना चाहिए । आज हम लोग इस बिल पर चर्चा करने के लिए इसे इलाहबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर यूजीसी, मैं हमारे मिनिस्टर साहब और मोदी जी को एस.सी., एस.टी., ओबीसी और इकोनामिकली वीकर सैक्शन की ओर से इस सदन से कॉग्राजुलेशंस देता हूँ । मोदी जी और हमारे एचआरडी मिनिस्टर अंतर्यामी हैं । इन्होंने एस.सी. के दिल की जलन को, एस.टी. के दिल की जलन को और इकॉनिमकली वीकर सैक्शन के दिल की जलन को जाना है, क्योंकि यही हमारी मांग थी । हायर एजुकेशंस में पूरी चर्चा हुई, इस पर

मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा । मैं आज कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि आजादी से ले कर कांग्रेस ने हमको यह दिखाया कि हर साल आपको मछली का एक टुकड़ा मिलेगा । उसके इंतज़ार में हम एस.सी. और एस.टी. जी रहे थे । लेकिन आज मोदी जी भगवान के अवतार में इस देश में आए हैं । आज मोदी जी हमको सिखा रहे हैं कि मछली आप कहां से खरीदेंगे, मछली आपको कहां से मिलेगी । यह जानकारी, यह नॉलेज एस.सी., एस.टी., ओबीसी और इकोनामिकली वीकर सैक्शंस को दी जा रही है, उनको सिखाया जा है ।

आज जो इस ऑर्डिनेंस के बारे में बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ आज यह ऑर्डिनेंस क्या, हज़ारों ऑर्डिनेंस लाइए, जो कांग्रेस ने एस.सी. और एस.टी. के ऊपर अत्याचार करने के लिए रखे थे । मोदी जी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर दिन ऑर्डिनेंस लाइए और इसको पूरा खत्म कर दीजिए । क्योंकि यह कंस्टीट्यूशनली आर्टिकल 14 और 16(21) में हमारा रिज़र्वेशन था । इसको इतना उलट-पुलट दिया गया । चेयरमैन साहब, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं एयर इंडिया की एस.सी. और एस.टी. वैलफेयर को देख रहा था, मुंबई के मरीना बीच पर मैंने एयर इंडिया की रिव्यू मीटिंग ली थी । उसमें 39 एस.सी. और एस.टी. पायलट्स का बैकलॉग था ।

मैंने एज़ ए कंस्टिट्यूशनल अथॉरिटी डायरेक्टिव दिया और वहां इंटरव्यू किया गया । उसमें 300 से ज्यादा एस.सी. और एस.टी. कैंडिडेट्स ने एप्लाई किया । उसमें भी हरास्मैंट कहां है? 39 बैकलॉग पायलट्स की वैकेंसीज़ में से सिर्फ 19 सिलैक्ट हुए । बाकी के बारे में मैंने पूछा, उस समय एयर इंडिया के एमडी श्री गोगोई थे, जो कि आज दुनिया में नहीं हैं । उन्होंने हमको यह रिप्लाई दिया कि ये एलिजिबल नहीं हैं । हमारे एस.सी. और एस.टी. लाइसेंस होल्डर्स पायलट एलिजिबल नहीं हैं । 300 एप्लिकेंट्स में सिर्फ 19 ही सिलैक्ट हुए । इसलिए मैं माननीय एचआरडी मंत्री जी को एक जानकारी देना चाहूंगा । आपने यहां रिपोर्ट में दिया है कि 7000 वैकेंसीज़ हैं । इन 7000 वैकेंसीज़ में एस.सी., एस.टी., ओबीसी और इकोनामिकली वीकर सैक्शंस का कभी रिक्रूटमेंट नहीं होगा । जब भी एडवरटाइज होगा तो यह रिपोर्ट आएगी कि यहाँ एलिजिबल कैंडीडेट्स नहीं पहुँचे हैं । यही अत्याचार हमारे साथ होता आया है । Who will

monitor the interview? When will that advertisement come out? यह एक दौर है, जब भी होता है, एलिजिबल कैंडीडेट्स नहीं हैं । आज एससी, एसटी, ओबीसी अमेरिका में साइंटिस्ट्स बन गए, दफ्तर लन्दन में बन गए हैं, दफ्तर आस्ट्रेलिया में बन गए हैं । हमारे हिन्दुस्तान में ऐसा सिस्टम है कि जब भी क्वालिफाइड होकर आते हैं तो एलिजिबल नहीं हैं ।

माननीय सभापति : काइंडली कनक्लूड ।

श्री तापिर गाव : मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । इस आरक्षण बिल का मैं समर्थन करता हूँ और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन के आरक्षण की तरह, मैं एक चीज़ की यहाँ माँग करता हूँ कि श्री राजीव प्रताप रूडी साहब, नितिन गडकरी के समय में इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में श्री भगत सिंह कोश्यारी की चेयरमैनिशप में हम दोनों मेम्बर थे । सियाचीन से लेकर अरुणाचल तक जहाँ-जहाँ डिस्प्यूट है, वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है । इंटरनेशनल बॉर्डर, केवल कश्मीर को छोड़ कर, बर्फबारी वाले इलाकों में और दूर-दराज इलाकों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए । हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, चेयरमैन साहब, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आर.डी. मिनिस्ट्री में यह गाइडलाइन है कि जहाँ 250 से बिलो पॉपुलेशन है, वहाँ पीएमजीएसवाई का रास्ता नहीं होगा । आज अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश के कालापानी में, उत्तराखंड के बॉर्डर में यह रास्ता इसलिए पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने गाइडलाइन ऐसी बनाई है । इसलिए रिजर्वेशन उधर भी एक्सटैंड होना चाहिए और गाइडलाइन मोडिफाइड करना चाहिए, तब जाकर हमारे दूर-दराज इलाकों के लोगों को सुविधा मिलेगी । इस रिजर्वेशन बिल का मैं समर्थन करता हूँ । देश भर के एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on this very important Bill, namely, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Sir, this may be one of the strange occasions in which I am supporting the Bill because the contents of the Bill as well as that of the Ordinance were the long pending demand of the entire House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Why is this a strange occasion?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : This is a strange occasion because most of the time we are opposing the Bills proposed by the Government due to various reasons. But whenever positive things come from the side of the Government, we will definitely support THEM. Our hon. Prime Minister has rightly said on 17th June, 2019 that the Opposition should be constructive, effective and active. So, we are all active, effective and constructive and so the Government has to accept the constructive suggestions that come from the side of the Opposition also.

Sir, this situation has arisen because of the verdict of the Allahabad High Court given on 7th April, 2017. Then, the Supreme Court had also upheld that judgement. Subsequently, the Government had moved a Special Leave Petition against the judgement and it was dismissed. Thereafter, two Review Petitions were moved by the Government as well as by the University and both were rejected on 13th February, 2019. The House was adjourned *sine die* on 14th February, 2019 because that was the last sitting of the 16th Lok Sabha. Therefore, the Government

could not come out with a legislation. To that extent, I do appreciate the stand taken by the Government in promulgating the Ordinance. There is a legitimate reason for that and that is why I am supporting this Bill as well as, to an extent, the promulgation of the Ordinance.

Coming to the contents of the Bill, if you kindly see, one of the major reasons why we have to discuss this is because this is overriding the judgement of the Supreme Court. As all of us know, as per Articles 141 and 142 of the Constitution of India, the judgement of the Supreme Court is the law of the land and all State Governments and the Central Government are bound to enforce the judgement of the Supreme Court.

You may recall that at the fag end of the 16th Lok Sabha, we passed another Bill which is also adversely affecting the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and that was the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill.

17.00 hrs

There also, the hon. Supreme Court has made a judgement by which if there is any atrocity, in order to get an FIR lodged in a police station, they have to get advance concurrence of the DSP of that particular area. 11 people were killed due to the riots because of this. People are being adversely affected. In this Parliament, we have come out with a legislation

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the hon. Member has mentioned that the Supreme Court judgement is the law of the land. Is it true? I

wanted a clarification on this.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Article 142 says so. I am reading Article 141 and Article 142 of the Constitution. I am not supporting the provision. I may be exempted for seeking clarification by the hon. Member. Article 141 of the Constitution says: "the law declared by the Supreme Court to be binding on all courts. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India."

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : So, we are redundant.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No, I never said that. Article 142 says: "enforcement of decrees and orders of the Supreme Court are binding on all.

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, आप पॉइंट पर आइए ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yes, I am coming to the point. Most of the times, now-a-days, if you examine the cases of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the poor people, what is the judgement made by the Supreme Court. Here also, the Supreme Court has upheld the verdict of the Allahabad High Court which adversely affected a section of the society, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Government is now coming up with a legislation to override the adverse impact of the judgement of the Supreme Court, both in the case of SC & ST (Prevention of Atrocities) Act as well as the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill.

17.02 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

I would like to highlight similar incident regarding the Sabarimala issue. In the Sabarimala issue, a judgement has been pronounced by the Supreme Court which has created a big chaos in the country. It has become a law and order problem in the country, for which we are seeking a legislation from the Government of India. I am not going into that point now.

Here, I am supporting the contents of the Bill also because as the hon. Minister has rightly cited, if you are taking the teachers' cadre, department-wise or subject-wise -- for example, in case of Economics or in the case of History, if you are taking all the Centrally sponsored or Central Government aided institutions together as a special category -- definitely the classification or the reservation for the teaching faculty will be reduced. In such a case, either the university or the particular institution has to be taken as a particular separate/individual unit, so that those who are entitled to get a benefit from reservation will be benefited from it. The definition which is stated in Clause 2 (l) says:

> "teachers' cadre means a class of all the teachers of a Central Educational Institution regardless of branch of study or faculty, who are remunerated at the same grade of pay, excluding any allowance or bonus."

That means, it is fair on the part of the Government. This is actually how legislation comes into play to override the Supreme Court judgement. I do not think that the Supreme Court can struck this legislation because it is benefiting the people belonging to lower strata of society. …(*Interruptions*)

Coming to the last point, one of my suggestions is that, when we talk about faculty, when we talk about higher education, abundant care and caution should be taken by the Government in the teaching faculty,

especially the quality of the teaching faculty. Education is a process by which a new generation, a new country or a new nation is built up. In such a situation, quality should not be compromised. You fix up the best qualification and give reservations also. We have to build up the new teaching faculty having full qualification.

With these words, once again, I would like to support the Bill and in a way, there is a legitimate reasoning for the issuance of the Ordinance also.

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Firstly, I would submit that the words 'SCs/STs, Economically Weaker Sections and Minorities' may also be included in this Bill.

Secondly, I agree with of the points raised by hon. Members, Shri Rajaji and Shrimati Supriya Suleji. These are all the points to be taken into consideration.

On behalf of my party, CP(I)M, I would request you to refer this Bill to the Standing Committee for thorough scrutiny.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री प्रवीन कुमार निषाद (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 के विषय पर बोलने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि दिनांक 05.10.1981 के ओ.एम. नं. 36011/33/1981 स्थापना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों हेतु क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है । पुन: वर्ष 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। फिर पुन: क्रमवार 16.66 प्रतिशत एस.सी. का आरक्षण, 7.5 प्रतिशत एस.टी., एवं 25.84 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण हेतु डायरेक्ट सिविल सर्विसेज की भर्तियों में इन सारी जातियों के लिए प्रावधान प्रदत्त किया गया । दिनांक 30.09.1974 के ओ.एम. नं. 39/40 एस.सी.टी. एक्ट 1 के अनुसार यही प्रावधान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अन्य केन्द्रीय प्रायोजित संस्थानों में भी लागू होता है । दु:खद पहलू यह है कि आज़ादी के बाद से सरकारें बनीं और चली गईं, लेकिन एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए निर्धारित आरक्षण का जो भी कोटा है, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप बिल लेकर आए हैं । इस बिल के पारित होने से पहले माननीय मंत्री जी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि जो भी लंबित भर्तियां हैं, उन्हें पूरा किया जाए और जो भी उपयुक्त अभ्यर्थी पूरे देश में हैं, उन्हें उनकी योग्यता से वंचित न रखा जाए । इस विसंगति को दूर करने के लिए हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं । यह जो विधेयक आया है तो वर्तमान समय में 200-प्वायंट रोस्टर के अनुसार पूरे देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती होनी है ।

महोदय, आरक्षण का जो प्रावधान इस देश में आया, उसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं । सन् 1961 में जब पूरे भारत की जनगणना हुई थी, उसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी जनगणना हुई थी और 66 जातियों का समूह बना था, जिन्हें आरक्षण दिया गया था, लेकिन आज तक उन जातियों का इसका लाभ नहीं मिला ।

वर्तमान समय में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं । मैं माननीय प्रधान मंत्री यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर एक गौरव स्थापित करने का काम किया गया । सरकार ने नवयुवकों में एक आशा दिखाई कि वे भी इस विकास की प्रगति में हिस्सा बन सकें और उनका भी विकास हो सके ।

महोदय, आज पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए जो अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । आज जितनी भी निर्धारित कोटे की रिक्तियां हैं और उनमें जितने भी प्रमोशन हैं, उनको पूरा किया जाए । मैं अपनी बातों को माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी से संबंधित करते हुए, बताना चाहता हूं कि आज तक इन सारी जातियों में जितनी भी विसंगतियां आईं और इन सारी जातियों के लिए जो प्रावधान रखे गए थे, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसने 10 परसेन्ट का आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए रखा । आज 103वें अमेंडमेंट के रूप में संशोधन विधेयक 2019 प्रभाव में आया है । इस कोटे को पूर्ण करने

से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि एससी, एसटी और ओबीसी की रिक्त जगह पूर्णत: भर ली गई हैं । इससे यह संदेश जाएगा कि सरकार उनके प्रति

जागरूक है और मानवीय आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, आज के वर्तमान समय में वह पूरी तरह से लागू हो । इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

जय हिन्द -जय भारत

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर बोलने की अनुमति प्रदान की है ।

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में सदन में दर्जन से भी अधिक हमारे भाइयों, साथियों और माननीय सांसदगण ने पूरे उद्गार दे दिए हैं । मैं समझता हूं कि अब किसी चीज़ को दोबारा न कहा जाए । जो समस्या उत्पन्न हुई थी, न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, उसके बाद जो एक संकट उत्पन्न हो गया था कि किस तरह से अधिकतम लाभ हम अपने लोगों को पहुंचाएं । न्यायालय ने जो निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को कनफर्म किया, उससे संकट तो उत्पन्न हो ही गया था, इसलिए सरकार की जो संवेदनशीलता है, माननीय प्रधान मंत्री ने जो संवेदनशीलता दिखाई, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने जो अपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए धन्यवाद का पात्र सरकार है ।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने 10 प्रतिशत आरक्षण देने का जो निर्णय लिया, उससे इस देश के करोड़ों लोग पहली बार अपने को मुख्यधारा में आते हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपस में प्रेम भाव बढ़े, कहीं कटुता न हो, एक-दूसरे के खिलाफ कोई अविश्वास की भावना पैदा न हो, यह थीम इसके पीछे थी । सबसे बड़ी बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई, कहीं पर भी कमी नहीं की गई । मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी बात

है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 1-2 चीजें बताना चाहता हूं कि हमारा समाज तो पहले से ही ऐसा समाज था, जो सबको बराबरी का दर्जा देता था । जैसे भीलनी के बेर, भीलनी माता के बेर प्रभु राम ने कहा । उन्होंने कहा कि सब बराबर हैं, सबको समान आना चाहिए, सबको बराबर आना चाहिए । यह एक किस्म से हमारी नीति थी । सुदामा के पैर धुले । सुदामा गरीब थे । कृष्ण भगवान जी ने उनके पैर पखारे । उन्होंने कहा कि सब बराबर हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो । मित्रता, मित्रता है, छोटा है, बड़ा है, ब्राह्मण है, सवर्ण है, हम सब बराबर हैं।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

… (*Interruptions*)

एडवोकेट अजय भट्ट : इस तरह से हमारी माइथोलाजी ने हम सबको बराबरी का दर्जा दिया है । मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं । एक-दो मिनट और दे दें, तो अच्छी बात है ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश में सबको बराबरी पर रखा । जब किसी को बराबरी पर नहीं रखा जाता, तो टीस कैसी होती है? एकलव्य का उदाहरण हमारी संस्कृति में आता है । जब अर्जुन जी को यह हो गया कि अब मेरे बराबर कोई धनुर्धर नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी यह मान लिया कि इनके मन में कुछ-कुछ ऐसा भाव आने लगा है । अर्जुन जी के कुत्ते के मुख को बाणों से भरकर, जब वह भौंक रहा था, वह थोड़ी देर में वापस आया । जब कुत्ता वापस आया, तो अर्जुन जी ने द्रोणाचार्य जी की तरफ रहस्यमयी नजरों से देखा कि आखिर मुझसे बड़ा धनुर्धर तो कोई है नहीं, आप कहते थे, तो यह कौन है? उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं । हमें देखना चाहिए कि कौन है । जब नजदीक गए, तो उनकी मूर्ति के आगे धनुष की प्रैक्टिस चल रही थी । धड़ाधड़ तीर-बाण चल रहे थे । उन्होंने पहले उसको मना कर दिया था कि मैं तुमको धनुर्धरी की शिक्षा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट बड़े लोगों से हो चुका है कि मैं सिर्फ

और सिर्फ इन्हीं को शिक्षा दूंगा । मान्यवर, दिल में कैसी टीस होगी और उस समय कैसे गुरु थे? मोदी जी ने आज गुरु का काम किया है । पूरे देश को वे समानता में लाए हैं । कहीं ऐसी भावना किसी में उत्पन्न न हो जाए कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह क्षेत्र फलाने का है । जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के सब बंधनों को तोड़ कर सबको बराबरी में लाए ।

मान्यवर, उन्होंने अन्तर्मन से आशीर्वाद दिया, कहा कि एकलव्य बहुत बड़े लोगों में तुम्हारा नाम आएगा । उनसे कहा कि दक्षिणा दो । दक्षिणा में वे सिर, पैर, हाथ या कुछ भी माँग सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं माँगा, अंगूठा माँगा । उन्होंने प्रायश्चित किया कि जब-जब तुम्हारा नाम आएगा, तब-तब मेरा नाम भी आएगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट गलती से हो गया और मैं भय के कारण अपने एग्रीमेंट को तोड़ नहीं पाया । लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार देकर इतिहास कायम किया है ।

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record except Shri Pandey's speech.

… (*Interruptions*)… *

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । आज मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

मान्यवर, 2006 में यूजीसी की जो गाइडलाइन्स आईं थीं, जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर की एक प्रणाली लागू की गई थी और उस 200 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए खारिज करके 13 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली को लागू करने की बात कही गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी थी, इसे

देखते हुए जनता में एक भारी आक्रोश जाग उठा था । दबे-कुचले समाज के लोग रोड पर आ गए थे, जिस बात को बहुजन समाज पार्टी ने लोक सभा और राज्य सभा में उठाने का काम किया । इस आन्दोलन को वहाँ पर जागरूक करके सरकार के ऊपर दवाब बना करके उस समय अमेंडमेंट लाने की बात की गई ।...(व्यवधान) आज उसी बिल को देखते हुए, आज उसी अमेंडमेंट को एक कानून में बदला जा रहा है, इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी को और बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । ...(व्यवधान)

मान्यवर, मैं केवल दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूं । क्लॉज तीन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनको इस दायरे से बाहर रखा जाएगा । माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, कल आप यह भी कह सकते हैं कि आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस है । उसे भी आप इस लिस्ट में ला सकते हैं । इसके पीछे क्या क्राइटीरिया है, इसको पूरी तरह से स्थापति करें, इसे सदन के सामने रखें । दूसरा इश्यू, अभी हाल ही में ... *सरकार ने सत्रह जातियों को अनुसूचित जाति में लाने का काम किया है । इसमें जो बदलाव किया गया है, इसमें ... * जी से बात करके चेंजेज कर दिए गए हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के भाग दो में साफ लिखा हुआ है कि अगर एक बार किसी जाति को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में ले

लिया गया है तो उसमें कोई भी तब्दीली सिर्फ माननीय सदन के द्वारा की जा सकती है । आज स्थिति यह हो गई है, हम आज जो कानून पास करने जा रहे हैं, मेरे यहां अम्बेडकर नगर में सत्रह जातियों की लिस्ट में बड़ी तादाद में निषाद जाति है, राजभर जाति को भी लिया गया है लेकिन जब तक इस कानून को लोक सभा में पारित नहीं किया जाएगा, तब ये न ओबीसी में रहे और न ही एससी में रहे । इनको इसका फायदा मिलेगा ही नहीं, सरकार इस चीज को साफ करे । आखिर में इतना बड़ा डिसीजन लेकर सत्रह जातियों को उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर उनकी तादाद मौजूद है । यह सरकार उनके साथ धोखा कर रही है ।

ऐसी क्या बात है, इसको क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है? हमारी पार्टी अध्यक्षा ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से रखा है । यह सीधे-सीधे इन जातियों के साथ धोखा हो रहा है । इस बिल का कोई मतलब नहीं है । जब तक इन सत्रह जातियों को इस सदन में लाकर अनुसूचित जनजाति में लेना है तो उनको लिया जाए । इसके साथ-साथ अनुसूचित जनजाति का कोटा और बढ़ाया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rithesh Pandey Ji, hon. Minister wants to intervene.

… (*Interruptions*)

श्री रितेश पाण्डेय : मान्यवर, अगर हम इस बिल को पास करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD) : Sir, there is only one thing which I want to tell in this House. We do not refer to the proceedings of the other House in this House. He has made a reference to the proceedings of the Uttar Pradesh Assembly and all these things. They need to be removed.

HON. CHAIRPERSON: Okay, we will check them.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can speak about the State Government but you cannot cast any aspersion on the State Assembly.

SHRI RITESH PANDEY: No, Sir, I am not casting any aspersions. I am talking about this august House. What I am saying is that according to Article 341, it is this House that can decide.

HON. CHAIRPERSON: Shri K. Suresh. Nothing will go on record except Mr. Suresh's speech.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA) : Sir, I rise to express my views on the proposed Bill 'The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019'.

First of all, I would like to opine that the current representation of SCs, STs and OBCs among the teachers in higher education is negligible.

The Constitution mandates that educational institution should ensure 15 per cent reservation for SCs, 7.5 per cent for STs and 27 per cent for OBCs among the faculty members. What is the reality? The All India Survey for Higher Education for the year 2017-18 released by the Ministry of Human Resource Development shows that there are 12,84,000 teachers in various higher educational institutions. Of these, 56.8 per cent of teaching staff is from the general category; 8.6 per cent is from the Scheduled Caste community while the Scheduled Tribes are a mere 2.27 per cent.

The poor representation of *Dalit* and tribal is exposed when the University Grants Commission (UGC) mandates reservation of 15 per cent for SCs and 7.5 per cent for STs. The ST representation is worse than that of the Muslims and other minorities who are 5.3 per cent and 9.4 per cent respectively of the total teaching faculty of the universities.

Coming to the 200-point system, why are the reserved categories objecting to the 13-point roster? The hon. Minister may reply on this. In the 13-point roster, the formula for determining reserved posts is like this. It is only after 13.33 positions (14 in round figure) are filled up that every reserved category gets at least one post. The expression '13-point roster' reflects the fact that 13.33 vacancies are required to complete one cycle of reservation.

Based on this, every 4^{th}, 7^{th}, 8^{th}, 12^{th} and 14^{th} vacancy is reserved for OBCs, SCs, OBCs, OBCs and STs respectively in the 13-point roster. It means that there is no reservation for the first three positions and even in the full cycle of 14 positions, only five posts – or 35.7 per cent—go to the reserved categories, which is well short of the Constitutionally mandated ceiling of 49.5 per cent, that is, 27 per cent plus 15 per cent plus 7.5 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. The Minister has to give reply before six o' clock.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The Minister can give his reply later because this is a very important Bill.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Why is the Minister in a hurry?

HON. CHAIRPERSON : No, he is not in a hurry. The time allotment to each and every party is exhausted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Why is the Minister worried?

HON. CHAIRPERSON: The Minister is not worried. Suresh Ji, the time allotment to each party is already exhausted. It includes the Congress and the BJP.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I can understand it.

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The Minister is not in a hurry. This is a problem of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Since years and years back, we have been facing this problem. Where will we go? We have to speak in Parliament only. We cannot say outside. So, you have to give me sufficient time. Then only I can complete my speech.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : With the new 10 per cent quota for the Economically Weaker Sections, EWS, the gap is widened further. This is because every 10^{th} post--100/10 = 10--is now reserved for the EWS category, which means there will be six reserved seats in every cycle of 14 or it is 42.8 per cent reservation when the ceiling is 59.5 per cent. So, I would like to request the hon. Minister to go through these disparities in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe teachers ' representation at the higher educational level.

Due to constraint of time, I am not going into all the details.

17.30 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me this opportunity. I partly support the Bill. But I strongly oppose another part of the Bill. I wholeheartedly welcome the arrangement of providing reservation on the basis of University as one Unit. At a time when the Allahabad High Court, Hon. Supreme Court and the University Grants Commission were seized of the matter regarding Department-wise roster for reservation, due to the continuous agitations by the teachers, an Ordinance was brought by the Government and it was decided to make University as one unit while preparing roster for reservation. I welcome and appreciate this decision. On that basis, this Bill has been brought to replace an Ordinance, which is a welcome step. At the same time, the move to implement 10 per cent reservation to people belonging to forward castes on the basis of their economical backwardness, is a dangerous one.

Reservation, in principle, should be provided to the people who are backward and oppressed -socially and educationally. This forms the basis of social justice. Reservation extended in principle to the economically weaker section is against social justice. In the Report of the Higher Education Department for the year 2015-16, it has been stated that 25.4 per cent persons belonging to OBC have actually utilized the benefits of reservation. But on the contrary the fact is more than 65 per cent of persons belonging to general category have utilized the opportunities. But out of the 15 per cent reservation available for Scheduled Castes, only 7.5 per cent have actually utilized the benefits of

reservation. Similarly out of the 7.5 per cent reservation available for Scheduled Tribes, only 2.1 per cent have utilized it. In a situation where only 7.5 per cent is utilized out of 15 per cent reservation available for Scheduled Castes and even the Scheduled Tribes could not utilize the reservation to the fullest possible limit available for them, providing 10 per cent reservation to the forward castes is against the basic principles of social justice. I strongly oppose the stand of the Government in this regard. I urge upon the Hon Minister to withdraw the 10 per cent reservation provided to economically weaker sections. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): मान्यवर, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सोचता हूं कि समाज के हर वर्ग को छूने वाला चाहे वह अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, ओ.बी.सी. है या जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन सबको आज के इस अधिनियम से एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है । ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर आज श्री अधीर रंजन चौधरी जी, श्री विष्णु दयाल जी, श्री ए.राजा जी, श्री रेड्डप्पा जी, श्री विनायक राऊत जी, श्री राजीव रंजन जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री गणेश सिंह जी, श्री नागेश्वर राव जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री हनुमान बैनिवाल जी, श्रीमती डा. प्रीतम मुंडे जी, श्री मोहम्मद बशीर जी, श्री तापिर गाव जी, श्री प्रेमचन्द्रन जी, श्री पी.आर.नटराजन जी, श्री प्रवीन निषाद जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री सुरेश जी और

अंत में हमारे मित्र श्री तिरु जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यहां पर आए हैं । कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी भावना एक जैसी है । सबने इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए मैं आप सबका और पूरे सदन का आभार प्रकट कर रहा हूं । किसी न किसी रूप में सभी लोगों ने इस बिल का पूरी ताकत के साथ समर्थन किया है । यदि छोटी-छोटी बातों को छोड़ दिया जाए, जिसमें मोटी-मोटी बातें यह हुई हैं, विशेषकर अध्यादेश को लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश तो विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है ।

श्रीमन, उन्होंने यह भी कहा है कि यह पीढ़ी का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता तो इससे बड़ा क्या विषय हो सकता है । श्रीमन, पीढ़ी का सवाल है, एक दिन भी कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए । यह सरकार की प्रतिबद्धता है । सरकार ने बिना किसी विलंब किए, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था कि यू.जी.सी. का वर्ष 2006 में जो दिशा-निर्देश था, वह ही व्यवस्था ईकाई के रूप में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय रोस्टर प्रणाली के रूप में ईकाई माना जाता था और वही व्यवस्था चली भी आ रही थी, लेकिन इस व्यवस्था को खंडित करने की दृष्टि से जब हाई कोर्ट इलाहबाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति के खिलाफ गए, जो 16 जुलाई, 2016 को जारी हुई थी, उसके खिलाफ 12.09.2016 को यह तय करके कि नहीं, विभाग ईकाई होना चाहिए, और यू.जी.सी. का जो निर्देश था, जिसको ईकाई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मानकर नियुक्तियां होती थीं, हाईकोर्ट ने उस नियम को अमान्य घोषित कर दिया । परिस्थिति यह हुई कि यदि इलाहबाद के उस आदेश का यदि फिर से पालना होता तो ऐसा लगा कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को न्याय देने की बात है, कदाचित यह उसकी मंशा को पूरा नहीं कर पाएगा इसलिए गवर्नमेंट ने 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की एक अध्ययन टीम बनाई और 21 विश्विविद्यालयों का विश्लेषण किया । जैसा मैंने कहा कि उस विश्लेषण को आने के बाद सरकार ने बहुत कठोर निर्णय लिया । विश्लेषण क्या था श्रीमन कि यदि विश्वविद्यालय को हम ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर 133 जो अनुसूचित जाति के हैं, अगर उसमें विभाग को मानते हैं तो केवल 4 आ रहे हैं और यदि ईकाई विश्वविद्यालय और

महाविद्यालय को मानते हैं तो 133 प्रोफेसर अनुसूचित जाति के आते हैं । इतना अंतर था क्योंकि अभी अनुप्रिया जी ने भी जिस बात को कहा है कि प्रोफेसर में इन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, हम लोगों ने सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्ययन किया । अनुसूचित जाति में यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 619 सहायक प्रोफेसर बनते हैं, जबकि ईकाई को मानते हैं तो केवल 249 ही बनते हैं ।

श्रीमन्, इतना ही नहीं अनुसूचित जाति के बाद बहुत सारा विवरण है । मैं समयावधि किसी सदस्य को, हमारा शोध और विश्लेषण करने का प्रयास था सारे विश्वविद्यालय में था । यदि आवश्यकता होगी तो उसको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति पर भी आए । किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि अनुसूचित जाति को तो मिल जाता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलता है । श्रीमन, अनुसूचित जनजाति के लिए भी इन विश्वविद्यालयों का जो अध्ययन किया है, 21 विश्वविद्यालयों को लेकर विश्लेषण किया गया, उसमें भी यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं और महाविद्यालयों को ईकाई मानते हैं, तब प्रोफेसर के 58 पद अनुसूचित जनजाति में जाते हैं, लेकिन यदि विभाग को मानते हैं तो एक भी पद नहीं आ रहा है । शून्य के अलावा कुछ भी नहीं आता है । इसलिए सहायक प्राफेसर के रूप में भी यदि केवल विभाग को ईकाई मानते है तो मात्र 66 आते हैं जबकि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 309 पद अनुसूचित जनजाति के होते हैं । श्रीमन, इतना ही नहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाद फिर हम अन्य पिछड़ा वर्ग में गए थे अभी प्रतिमा जी ने कहा था कि बहुत सारे पद हैं, जो ओ.बी.सी. के भरे नहीं जाते हैं या उस अनुरूप नहीं होते हैं । श्रीमन हमने इस पर अध्ययन किया और विश्लेषण से हमने यह पाया है । यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर का एक भी पद नहीं आता है । कहां 11 पद और कहां एक भी पद नहीं होता है । पिछड़े वर्ग के लिए सहायक प्रोफेसर में विभाग को ईकाई मानकर मात्र 855 पद आते हैं, वहीं विश्वविद्यालय को ईकाई मानने से 1,112 पद उनको जाते हैं ।

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, एक ओर तो वे कहते हैं कि हम एससी, एसटी और ओबीसी के हिमायती हैं, वकालत करते हैं, लेकिन आज कुछ लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं कि वे एससी, एसटी और ओबीसी के हितैषी नहीं हैं । दिखाने की बात कुछ होती है, आज पूरे सदन को एकजुट होकर, इसे पास करना चाहिए । इस सरकार का इससे बड़ा निर्णय और क्या हो सकता है? यह ऐतिहासिक निर्णय है । मैं यह समझता हूं कि जो इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं – आरक्षण रोस्टर के बिन्दु निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज इसकी एक ईकाई होगा, न कि विभाग । दूसरा, यह विधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण को प्रदान करने के लिए प्रावधान करना और तीसरा, यह विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के कैडर में भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने से संबधित है ।

श्रीमन्, यदि देखा जाए तो एक के बाद एक, यह विधेयक साबित करता है कि यदि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की कोई चिन्ता करता है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार करती है । यह विधेयक इसको साबित करता है ।

मैं अधीर रंजन चौधरी जी का बहुत सम्मान करता हूं । वह मुझसे वरिष्ठ भी हैं । मैं इस सदन में अभी दूसरी बार आया हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश में दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं । जब उत्तराखण्ड राज्य बना, मैं तीन बार कैबिनेट मंत्री रहा, चौथी बार मुख्य मंत्री रहा हूं । मैंने इस सदन में जो बात कही है, बहुत भरोसे के साथ कही है । मैं फिर पुख्ता करना चाहता हूं कि मैंने जो भी कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैंने कुछ कहा है तो आप उस पर जरूर अध्ययन करें, टिप्पणी नहीं, अध्ययन करें और मैं उनकी इस दिशा में उनकी मदद करूंगा । मैं इस सदन में बहुत भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं । यह सदन दुनिया में लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है । मैं दुनिया के इस सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर में भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भी मैंने कहा है, वह मैंने बहुत संज्ञानपूर्वक एक-एक शब्द कहे हैं ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कहा कि आप अध्यादेश क्यों लाए । आप एक ओर कह रहे हैं कि पद रिक्त हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि आप अध्यादेश क्यों लाए । सच तो यह है कि उच्च शिक्षा में केन्द्र सरकार के विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों, टोटल सभी को देखा जाए तो वर्ष 2017-18 में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों की रिक्तता पीछे से चली आ रही है । पूरे देश में कुल 14,07,373 स्वीकृत पदों के विपरीत 10,62,659 पद पदासीन हैं और 3,44,714 पद रिक्त हैं । इसमें भी, जो संस्थान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सीधे अधीन आते हैं, जो उनसे पोषित होते हैं या उनके द्वारा संचालित होते हैं, ऐसे कुल 3,30,903 कॉलेज हैं, जिनमें 74,120 रिक्तियां हैं । जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें 7,000 पद रिक्त हैं, इस कानून के बनने से एक नया अध्याय शुरू होगा । मैं प्रेमचन्द्रन जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, पहली बार सदन में उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है । उनकी चिंता यह थी कि शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता होनी चाहिए । आज इस बिल के पास होने के बाद, ये सारे रास्ते खुलते हैं और देश में शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू होगा ।

श्रीमन् आपको यह मालूम है और प्रेमचंद्रन जी ने भी इस बात को कहा है कि जिस समय इसको लाया गया था, वह अंतिम दिन था । उसके बाद उस अध्यादेश को लाए थे ताकि वह सदन में आ सके, लेकिन उस समय वह सदन में नहीं आ सका और वह व्यपगत हो गया । वह चर्चा के लिए नहीं आ पाया था । जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहले हमारी विशेष याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद जब हम पुनर्याचिका में गए तो उसको भी खारिज किया गया । क्योंकि यह शिक्षा का विषय है, पी.जी. का विषय है तो बिना किसी विलंब के कुछ ही दिनों में, इस 7 मार्च को अध्यादेश की स्वीकृति दी गई । हम यह भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2019 को हमारी पुनर्याचिका को रद्द कर दिया था । फरवरी 28 दिनों का महीना होता है । हमने सात तारीख से पहले तत्काल प्रभाव से अध्यादेश का मसौदा तैयार किया और भारत के राष्ट्रपति जी ने 7 मार्च, 2019 को इस अध्यादेश को स्वीकृति दी । हम कहां विलंब कर रहे हैं? जहां पी.जी. का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, वहां विलंब करने की बात ही

नहीं है । आपको बधाई देनी चाहिए थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने संवेदनशील हैं । शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संवेदनशीलता को बकायदा स्वीकार करना चाहिए था । जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी, उसी दिन गवर्नमेंट ने इसका आदेश जारी कर दिया और उसी के दूसरे दिन यूजीसी ने अपना निर्देश जारी कर दिया । यह इसका प्रमाण है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं । हम ने घंटों और मिनटों के हिसाब से काम किया है । यहां रोस्टर की बात हुई है । मुझे लगता है कि हमारी बहन सुप्रिया जी को लगा कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद हम यह लाए हैं । नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो खिलाफ दिया । मैं ईकाई के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि विभागवार ईकाई को ही संस्तुति दी गई थी, हम उसके खिलाफ गए । उसके पहले यह व्यवस्था चली आ रही थी । हां, आप कुछ कहना चाहती हैं ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : वाइस चांसलर के लिए रिजर्वेशन होगा, उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? आपने बॉटम ऑफ द पिरामिड में बहुत सारे नम्बर्स दिए हैं, लेकिन इवेंचुअली टॉप-ऑफ द पिरामिड वाइस चांसलर में अब कितना?

माननीय अध्यक्ष : आप आज्ञा मत दिया करें कि आप बोलें । आज्ञा देने का काम मेरा है ।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने एक मिनट बिना विलंब के, यह काम कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए नहीं किया बल्कि हम हर वादे को तोड़ कर आगे गए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इस समाज के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग, जो आशा को बांधे हुए हैं, उनकी आशाओं पर तुषारापात न हो, इसलिए हम इस काम को बहुत जल्दी लाए हैं ।

श्रीमन्, अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यह कहा जा रहा है कि जब **10** प्रतिशत संविधान के **103**वां संशोधन हो गए । इसी सदन ने भारी बहुमत से

संविधान के 103वें संशोधन को समर्थन के साथ स्वीकार किया और देश की सभी विधान सभाओं ने सर्वसम्मति दी । उस पर सवाल खड़ा करने का कोई विषय ही नहीं है । सर्वसम्मति और देश की सभी विधान सभाओं से आया हुआ 103वां संविधान संशोधन का विषय, उसके तहत 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को भी दिया है । राजा साहब मैं आपको बताना चाहता हूं । मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि संविधान ने उसे इजाजत नहीं दी है । संविधान के पहले पन्ने पर ही है –

> "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्क्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हो कर इस संविधान को इस सभा में आत्मसात् करते हैं । "

महोदय, यह संविधान में व्यवस्था है । सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समता लाना हमें संविधान ने पहले कहा है । संविधान ने निर्देश दिया है, लेकिन आपकी सरकार ने नहीं किया है तो हम क्या कर लेंगे । हमारी सरकार तो करना चाहती है और कर रही है । हम संविधान का सम्मान ही तो कर रहे हैं, इसलिए 10 प्रतिशत के लिए उस व्यक्ति को भी कहा - आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग । उसकी भी वह जाति है, वह एक वर्ग है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने साफ-साफ कहा कि गरीब एक जाति है । वह पंथ निरपेक्ष, धर्म, जाति का नहीं है, गरीबी एक जाति है और जब तक उसे खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और यहां से वह रास्ता शुरू होता है ।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत सारे बिंदुओं को साथ लेकर चल रहा है । मोटी-मोटी बातों को यदि मैं अलग-अलग कहूंगा तो ज्यादा समय लगेगा । मैं यह जरूर चाहता हूं कि आज यहां सभी शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं । सुरेश भाई, मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने शिक्षक उपस्थिति, शिक्षक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 900 करोड़ रुपयों का परिव्यय अखिल भारतीय स्तर पर 25 दिसम्बर, 2014 को पंडित मदन मोहन

मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अभियान के तहत शुरू कर दिया है । हर हालत में गुणवत्ता होनी चाहिए । अधीर रंजन जी, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं । आपने कहा कि 200 प्वाइंट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कोई संस्था नहीं है । आपको आज बहुत खुशी होनी चाहिए । मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि आप एक प्रेस कांफ्रेंस करके देश के उन लोगों को बधाई दें कि आईआईटी मुम्बई, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बैंगलुरू 200 प्वाइंट्स से नीचे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ चुके हैं । इसके लिए मैं इस सदन को भी बधाई देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष जी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आगे आने वाले पांच वर्ष का हमने प्लान बनाया है, हर वर्ष का प्लान बनाया है और 100 दिन का भी प्लान बनाया है । हम निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इस राष्ट्र को दुनिया के शिखर तक पहुंचाएंगे । हमारे प्रधान मंत्री जी के निर्देश में यह हमारा संकल्प है । जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं । इस बारे में यदि किसी माननीय सदस्य को अलग से भी बात करनी हो, तो मेरे पास आपने जितने सवाल उठाए हैं, उनके सारे जवाब मेरे पास हैं । मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सर्वमत से शिक्षा के विषय को एकमत से पारित किया जाए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष जी, यह बात मैंने पहले ही स्वीकार की है कि पोखरियाल जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन वे काफी क्रोधित होते जा रहे थे, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा । यह टिप्पणी नहीं है । आपने कभी कहा था कि एक लाख साल पहले ऋषि कणाद ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है । कोई किताब भी नहीं है । आपके एचआरडी डिपार्टमेंट में यदि किसी किताब में होगा, तो हम पढ़ लेंगे । ...(व्यवधान) यदि आपके पास किताब हो, तो आप सदन में सभी को किताब दे दीजिए । अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है । ऋषि कणाद की बात अनुसरण करके चलेंगे ।...(व्यवधान)

यह आप आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को समझा दीजिए, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी ।

पोखरियाल जी, आपने जो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया है, मतलब 10 पर्सेंट की जो बात हो रही है, उसका कारण यह है कि आपके लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग में थोड़ा अंतर है । जैसे आप पैरा-टू में आइए:

> "In view of the urgency to fill up the vacant posts, and to protect the interests of the SCs, STs, and socially and educationally Backward Classes, it has become necessary to enact the legislation in the matter."

यहाँ पर आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के नाम का जिक्र नहीं किया है । आपके ड्राफ्टिंग में यह गलती है । इसलिए यह सवाल जरूर उठेगा क्योंकि आप जो कह रहे हैं, आप दो तरह के यूनिट्स की बात कह रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट है और दूसरा डिपार्टमेंट एज ए यूनिट है ।

एक में 200 पॉइंट्स रोस्टर सिस्टम है, दूसरे में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है ।

माननीय अध्यक्ष: आप केवल सांविधिक संकल्प पर बोलें ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: यहाँ तो एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर मतलब अनरिजर्व्ड है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस कहाँ घुसेगा? इकोनोमिकली वीकर सेक्शन इसमें कहाँ घुसेगा? क्या यह ओबीसी, एससी या एसटी के साथ आएगा? यह हमारा सवाल है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी: इसका तो स्पष्टीकरण करना चाहिए । ...(व्यवधान) सर, मेरा लास्ट पॉइंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 07.04.2017 को कहा:

> "On 7th April, 2017, the Division Bench of the Court held that by treating all teaching positions across multiple departments would be impractical and violative of Articles 14 and 16 of the

Constitution. Allahabad Court decision was upheld by the Supreme Court in June, 2017."

इसलिए हम यह संकल्प प्रकट करते हैं कि हम जो भी करें, हमारे कानून को तो हमारा ज्यूडिशियरी इंटरप्रेट करेगा । इसीलिए जब ज्यूडिशियरी इसे वायलेटिव कहता है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, हम भी इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं । यह मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही स्पष्ट कर दिया है । लेकिन, इसको आप जिस ढंग से लाना चाहते हैं, जहाँ ज्यूडिशियरी के साथ एक कांफ्लिक्ट होता जा रहा है, जैसे कि एक लेजिस्लेशन चाहते हैं और दूसरा ज्यूडिशियरी को कहते हैं, इसलिए मैं इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि इसे 20-25 दिनों के अंदर हाउस खत्म होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में विचार-विमर्श करके सदन में रखें । यदि आप यह न मानें, तो मैं यह रिजोलूशन मूव करूँगा ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 मार्च, 2019 को प्रख्यापित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक13) का निरनुमोदन करती है ।"

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के

आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगेक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

-

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

-

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

-

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, छ: बज गए हैं । अगर सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बढ़ा दी जाए । कुछ माननीय सदस्यों के शून्यकाल के अंदर विषय छूट गए थे । अत: मैं आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही बढ़ाने के लिए आपकी सहमति चाहता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, ठीक है ।